मुंबई पत्तन प्राधिकरण
पेंशन निधि न्यास

MUMBAI PORT AUTHORITY
PENSION FUND TRUST

प्रशासन रिपोर्ट
ADMINISTRATION REPORT

और / **and**

वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS

2022-2023

और /**and**

उसपर लेखापरीक्षा रिपोर्ट
THE AUDIT REPORT THEREON

वर्ष 2022–2023 की रिपोर्ट में अंतर्निहित लेखापरीक्षा संबंधी
आपत्तियों/अवलोकनों आदि पर की गयी कार्रवाई के विवरण सहित

WITH ACTION TAKEN NOTES ON
AUDIT OBJECTIONS/OBSERVATIONS CONTAINED
IN THE REPORT FOR THE YEAR 2022-2023

अनुक्रमणिका /INDEX

विषय सूची / CONTENTS	पृष्ठ क्र Page Nos
प्रशासन रिपोर्ट 2022-23 Administration Report 2022-23	1-15
31 मार्च 2023 का तुलन पत्र Balance sheet as on 31st March 2023	16
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 2023	17
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान Receipt and Payments for the year ended 31st March 2023	18-19
31 मार्च 2023 के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ Schedules to balance sheet as on 31st March 2023.	20-27
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ - 31 मार्च 2023 Significant Accounting Policies - 31st March 2023	28
लेखा पर टिप्पणियाँ - 31 मार्च 2023 Notes on Accounts - 31st March 2023	29-35
दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के लेखा पर की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट Audit Report on the Accounts of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust for the Year ended 31st March 2023.	36-44
दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही नोट . Action taken notes on the Audit Report on the Accounts of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust for the Year ended 31st March 2023.	45-53

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
पेंशन निधि न्यास

MUMBAI PORT AUTHORITY
PENSION FUND TRUST

प्रशासन रिपोर्ट
2022-2023

ADMINISTRATION REPORT
2022-2023

न्यासी मंडल
मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास
TRUSTEES OF MbPA PENSION FUND TRUST
,,*,*,*,*,*

अध्यक्ष मुंबई पत्तन प्राधिकरण CHAIRMAN, MBPA	:	राजीव जलोटा RAJIV JALOTA
उपाध्यक्ष मुंबई पत्तन प्राधिकरण DY. CHAIRMAN, MBPA	:	आदेश तितरमारे ADESH TITARMARE
वित्तिय सलाहाकार और मुख्य लेखा अधिकारी, मुंबई पत्तन प्राधिकरण सचिव और संयोजक (FA&CAO, MBPA) (SECRETARY & CONVENER)	:	श्रीमती माधुरी वराडे SMT. MADHURI VARADE
सचिव़ मुंबई पत्तन प्राधिकरण SECRETARY, MBPA	:	यू. आर. मोहन राजू U.R. MOHAN RAJU
श्रमिको के प्रतिनिधित्व कर रहे न्यासी TRUSTEE REPRESENTING LABOUR	:	श्रीमती कल्पना देसाई SMT. KALPANA DESAI
श्रमिको के प्रतिनिधित्व कर रहे न्यासी TRUSTEE REPRESENTING LABOUR	:	दत्तात्रय खेसे DATTATRAYA KHESE

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास

प्रशासन रिपोर्ट 2022-23

मैं 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधी न्यास की प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ.

न्यास के निर्माण की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निधी न्यास का निष्पादन निम्नानुसार है:

1. मुं.प.प्रा. पेंशन निधि न्यास की स्थापना (एमबीपीएपीएफटी) :

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मुं.पो.ट्र (पेंशन निधि) विनियम तैयार किए गए. मुं.पो.ट्र (पेंशन निधि) विनियम, 2004 के अनुसार मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधी न्यास के प्रथम न्यासियों के रूप में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सचिव और दो श्रम न्यासियों को नामित कर पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए एक अपरिवर्तनीय न्यास का सृजन किया गया. मुंबई पत्तन के न्यासी मंडल और पेंशन निधी न्यासके प्रथम न्यासियों के बीच दि.14.1.2004 को हुए न्यास विलेख के निष्पादन से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधी न्यास अस्तित्व में आया.

2. मुं.पो.ट्र पेंशन फंड ट्रस्ट को मान्यता :

आयकर आयुक्त क्षेत्र 12(1), मुंबई ने आयकर अधिनियम 1961 की अनुसूची IV के भाग बी के नियम 2(1) के अधीन उन्हें सौंपे गए अधिकारों के अनुसार दि. 1.3.2004 के आदेश क्र. सीआयटी 12/पेंशन फंड/ 2003-04 द्वारा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधि न्यास को अनुमोदन प्रदान किया था. मंत्रालय ने उनके दि. 6.4.2004 के पत्र द्वारा न्यास को अनुमोदन सूचित किया और दि. 21 मई 2004 के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गयी.

3. मुं.पो.ट्र पेंशन फंड ट्रस्ट के नामकरण में बदलाव को अनुमोदन :

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को एक तारीख के रूप में नियत किया है, जिस दिन महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 का प्रावधान लागू हुआ था. जिसे दिनांक 29.10.2021 को राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4504 (ई) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था. तद्नुसार 29.10.2021 से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021, प्रभावी हुआ. इसके बाद मंत्रालय ने दिनांक 03.11.2021 की राजपत्र अधिसूचना के तहत महापतन प्राधिकरणों के पहले न्यासी मंडल का गठन किया. तदनुसार, मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्यो ने बोर्ड संकल्प संख्या 02 दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से दिनांक 31.01.2022 यानी राजपत्र अधिसूचना की तिथि से "मुंबई पोर्ट ट्रस्ट" के नाम को "मुंबई पत्तन प्राधिकरण" के रूप में बदलने को अनुमोदन प्रदान किया.

उपरोक्त का अनुपालन करने के लिए, एमबीपीएपीएफटी के ट्रस्टियों ने अपने संकल्प संख्या 02 दिनांक 12.05.2022 के माध्यम से मुंबई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास (एमबीपीटीपीएफटी) के नाम को मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास' (एमबीपीएपीएफटी) के रूप में बदलने को अनुमोदन प्रदान किया.

४. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निधि प्रबंधन ः

दि. 29.3.2004 के न्यासी मंडल की संकल्प संख्या 48 के अनुसार आयकर नियम, 1962 के नियम 89 के अनुपालन में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआयसी) को पेंशन निधि के प्रबंधन हेतु निधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रत्येक वर्ष में वर्तमान तथा भविष्य के पेंशनरों के प्रति पेंशन देयता का भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन कर परिकलन किया जाता है. इस वित्तीय वर्ष के दौरान मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा एमबीपीएपीएफटी के निवेश हेतु रु 825.00 करोड की राशि भा.जी.बी.नि. को अंशदानित की गई.

दि. 31.3.2023 को भा.जी.बी.नि. के साथ कुल निवेश रु. 9299.32 करोड़ है, जब कि दि. 31.3.2022 को यह रु. 8948.20 करोड़ था. भा.जी.बी.नि. ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7.90% की दर से ब्याज घोषित किया है. भा.जी.बी.नि. द्वारा घोषित प्रतिफल में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7.79% से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.90% की बढोतरी हुई है. 8948.20 करोड रूपये के निवेश पर उपार्जित 689.62 करोड रूपये ब्याज की राशि है.

५. बीमांकिक मूल्यांकन ः

प्रत्येक वर्ष वर्तमान कर्मचारी और पेंशनरों की जानकारी भा.जी.बी.नि. को भेजी जाती है और बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भा.जी.बी.नि. ने वर्तमान पेंशनरों के प्रति रु. 8805.56 करोड़ और भविष्यकालीन पेंशनरों अर्थात वर्तमान कर्मचारियों के प्रति रु. 2604.86 करोड, कुल मिलाकर रु. 11410.42 करोड़ की कुल बीमांकिक देयता का परिकलन किया है. यह मूल्यांकन 6% के दर से वेतन में बढोतरी को ध्यान में रखकर किया गया है.

६. मुंबई पत्तन प्राधिकरण से अंशदान ः

ऐसी बीमांकिक देयता के आधार पर और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पेंशन निधि) विनियम, 2004 में दिए गए मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधी न्यास को वार्षिक अंशदान करके अंतर को मिटाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है. वर्ष के दौरान मुंबई पत्तन प्राधिकरण (मुंपप्रा) ने मुंपप्रा पेंशन निधी न्यास में रु. 825.00 करोड़ का अंशदान किया जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु. 565.00 करोड़ का अंशदान किया था.

७. मासिक पेंशन भुगतान हेतु भा. जी. बी. नि. के साथ पेंशन फंड के निवेश की मूल धनराशि तथा उसपर उपार्जित व्याज की निकासी.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भा.जी.बी.नि. ने 7.79% का व्याजदर घोषित किया था, अंत: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7.00% का व्याजदर अनुमानित था. वित्तीय वर्ष 2022-23 में की गई रु 825.00 करोड की राशि निवेश और रु 615.00 करोड़ राशि के अनुमानित प्राप्त व्याज ध्यान में लेते हुए, रु 1163.50 करोड़ की राशि मासिक पेंशन भुगतान हेतु भा. जी. बी. नी के साथ निवेश पर व्याज से वर्ष के दौरान निकाली गयी.

8. निधि की स्थिति ः

दि. 31.3.2023 को निवेश शेष रु. 9301.85 करोड है जब कि दि. 31.3.2022 को रु. 8954.37 करोड थी. रु.11410.42 करोड का बीमांकिक मूल्यांकन तथा रु.9301.85 करोड़ की निवेश शेष को ध्यान में रखते हुए निधि में रु. 2108.57 करोड तक की कमी है. यह कमी आनेवाले कुछ वर्षो में अधिशेष राजस्व की उपलब्धता होने पर पूरी होने की अपेक्षा है.

9. वित्तीय स्थिति ः

वर्ष के दौरान, इस निधि ने उसके निवेशों पर रु 689.74 करोड ब्याज अर्जित किया रु. 1119.41 करोड़ के पेंशन भुगतान में पेंशन सुधार, समेकन तथा समाधान कारण उत्पन्न बकाया राशि तथा जीवित प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण रोके गये पेंशन के कारण उसके प्रति वही खाते में लिखा गया रु 178.50 करोड़ का उपार्जित व्यय शामिल है. न्यास ने वर्ष 2022-23 के दौरान रु. 429.66 करोड़ का घाटा उठाया है.. विगत वित्तीय वर्ष में यह घाटा 340.75 करोड़ रुपये था. घाटा संग्रहित निधि में प्रभारित किया गया है.

10. मार्च 2022 और मार्च 2023 को पेंशनरों की स्थिति ः

(ए) **पेंशन भुगतान के आधार पर** ः

अनु. क्र	पेंशन का प्रकार	दि. को पेंशनरों की संख्या	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2023
1.	अधिवर्षिता	19133	19350
2.	परिवारिक	13385	13733
3.	सानुग्रह	521	461
	कुल :-	**33039**	**33544**

(बी) **पेंशनरों की संख्या के आधार पर** ः

अनु. क्र	विवरण	यथा दिनांक को पेंशनरों की संख्या	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2023
1.	भुगतान किया गया पेशन	33039	33544
2.	अस्थायी रूप से रोका गया		
	(i) आधार कार्ड शपथ पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि प्रस्तूत न करना	211	208
	(ii) जीवित प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना	1859	1465
	कुल ः	**35109**	**35217**

11. वर्ष के दौरान निपटाए गए पेंशन मामलों की संख्या ः

विवरण	2021-2022	2022-2023
अधिवर्षिता	1133	741
परिवारिक	1196	758
सानुग्रह	0	4
कुल ः	**2329**	**1503**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 4.27% नये पेंशन मामलों में वृद्धि हुई जबकि विगत वित्तीय वर्ष यह 6.63% थी.

12. वर्ष के दौरान मृत्यु मामलों की संख्या ः

विवरण	2021-2022	2022-2023
अधिवर्षिता	1240	742
परिवारिक	706	511
सानुग्रह	95	64
कुल ः	**2041**	**1317**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मृत्यु अनुपात 3.74% रहा जबकि विगत वित्तीय वर्ष में यह 5.81% था.

13. जीवित प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण रोके गये पेंशन के मामलों की संख्या ः

	पेंशनरों की संख्या	भुगतान न की गयी राशि (रु करोड में)
(i) वित्तीय वर्ष 2022-23 तक	913	12.67
(ii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान	596	3.67

14. पेंशनरों की संख्या, जिन्हें अतिरिक्त पेंशन अदा की गयी.

पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनरों की आयु	अतिरिक्त लाभ (%)	कुल पेंशनर 2021-2022	कुल पेंशनर 2022-2023
80 वर्षों से 85 वर्षों से कम आयु	20	1363	374
85 वर्षों से 90 वर्षों से कम आयु	30	781	177
90 वर्षों से 95 वर्षों से कम आयु	40	356	107
95 वर्षों से 100 वर्षों से कम आयु	50	168	36
100 वर्ष और उसके उपर	100	28	3
कुल ः		**2696**	**697**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 1.98% पेंशनर अति वरिष्ठ नागरीक है जबकि विगत वर्ष में ऐसे 7.67% पेंशनर थे.

15. पेंशनरों को अदा किए गये महँगाई भत्ते का ब्योरा :

अनु. क्र.	अवधि	वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए %			वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए %		
		आधार सूचकांक			आधार सूचकांक		
		1708	**126**	**277**	**1708**	**126**	**277**
1.	अप्रैल - जून	298	166	24	331	186	30
2.	जुलै - सितंबर	313	174	25	341	192	33
3.	अक्तुबर - दिसंबर	322	181	27	350	197	35
4.	जनवरी - मार्च	380	184	30	359	202	37

मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 का आधार सूचकांक 1708, 29% बढ़ा था.
मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 का आधार सूचकांक 126 18% बचा था
मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 का आधार सूचकांक 277, 7% बढ़ा था.

15.1 भुगतान के माध्यम वार मासिक पेंशन भुगतान :

अनु. क्र.	भुगतान का माध्यम	2021-22	2022-23
	बैंक के माध्यम से	(रु. करोड में)	(रु. करोड में)
1.	सीबीएस (एसबीआई)	343.64	443.32
2.	इसीएस	509.66	328.51
3.	एनइएफटी	275.83	391.42
4.	निवल उपर्जित पेशन	-78.15#	-43.84*
	कुल :	**1050.98**	**1119.41**

* निवल उपार्जित पेंशन में 31.3.2023 रु. (3.75) करोड के समापन के बाद रु (40.09) करोड उपर्जित पेंशन शामिल है
\# निवल उपर्जित पेंशन में 31.3.2022 रु.(0.03) करोड़ के समापन के बाद रु (78.18) करोड़ उपर्जित पेंशन शामिल है

15.2 वर्ष के दौरान नियमित पेंशन के भुगतान के अलावा कोई असाधारण बकायों के भुगतान का ब्योरा :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन सुधार 2017 के कारण, अक्तूबर 2022 और फ़ेब्रुअरी 2023 में पेंशनरों को रु 44.58 करोड़ की पेंशन बकायों का 25 % भुगतान किया गया.

15.3 संराशीकरण का भुगतान :

2022-23 वर्ष के दौरान रु. 100.34 करोड़ पेंशन के संराशीकरण मूल्य राशि का भुगतान किया गया है जब कि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में वह रु. 117.65 करोड़ था.

15.4 वर्ष के दौरान पेंशन नियमों/विनियमों में संशोधन :

वित्तीय वर्ष 2022-23 में पेंशन नियम/ विनियमों में कोई भी संशोधन नहीं किया गया. श्रेणी II में आने वाले पेंशनरों के मामले में जीएडी को द्वारा सामान्य रूप से प्रस्ताव और एसओपी भेजा गया है. इसके अलावा सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 की तर्ज पर वर्तमान पेंशन विनियमो को मुंपप्रा 2021 के प्रावधान अनुसार उपयुक्त रूप से अदयतन किया जा रहा है.

15.5 भा. जी. बी. नी द्वारा पेंशन की प्रतिपूर्ति भुगतान की स्थितिः

वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि.) से पेंशन के भुगतान के लिए रु 1163.50 करोड निकाले गये.

16. अन्य महत्वपूर्ण विशेषताये :

- **अधिकतम पेंशन :**

विगत वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये 1,26,070/- रूपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,31,757/- रूपये उच्चतम पेंशन भुगतान किया गया है.

- **डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र :**

नवंबर 2016 से "ई जीवन प्रमाण" के माध्यम से पेंशनरों के डिजिटल लाइफ प्रमाणपत्र पंजीकरण के लिए प्रणाली भी उपलब्ध करायी गयी है. 2022-2023 के दौरान कुल 27736 पेंशनरों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और उनके लाइफ प्रमाणपत्र डिजिटल फार्म में अग्रेषित किये है.

- **मोबाईल ॲप मु.प.प्रा. ईसेवा :**

पेंशनधारकों को उनके मासिक पेंशन के विवरण की जानकारी के लिए तथा मुं.प.प्रा. को अपनी शिकायत दर्ज करने के तथा ऐसी शिकायत की स्थिति को जानने के लिए मुं.प.प्रा. ई-सेवा अप्लीकेशन है. यह सेवा नवंबर, 2017 से मुं.प.प्रा. वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है तथा यह अन्ड्रॉइड एवं आयओएस आधारित मोबाइल फोनों से भी प्राप्त की जा सकती है. अप्लीकेशन निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध करता है

1) **माई प्रोफाइल ब्योरा** ः

इसमें पेंशनरों का ब्योरा जैसे उनकी पोपोओ संख्या, स्थिति, आधार संख्या पॅन संख्या, जन्मतिथि, पता, नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति को तिथि, खाता संख्या, बैंक का नाम आदि विवरण उपलब्ध होते है.

2) **परिपत्रक** ः

महत्वपूर्ण परिपत्रक तथा लाइफ प्रमाणपत्र फार्म्स डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होते है.

3) **फीडबॅक,प्रश्न** ः

पेंशनर उनकी शिकायतें दर्ज कर सकते है. पता़ वैवाहिक स्थिति़ बैंक विवरण़ केवायसी आदि में परिवर्तन के लिए अनुरोध भी दर्ज करा सकते है.

4) **ईआरपी का कार्यान्वयन शुरु हो चुका है.**

17. <u>आभार</u> ः

मैं, मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधी न्यास के न्यासियों के समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए उन्हें अपना सद्भावपूर्वक धन्यवाद देता हूँ. पेंशन न्यास को मजबूत बनाने के लिए मैं मुंबई पत्तन प्राधिकरण के न्यासी मंडल के माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूँ. मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ और आगामी वर्षों के लिए अच्छी आय की अपेक्षा करता हूँ. न्यास विलेख में उल्लिखित विद्यमान नियमों तथा मार्गदर्शी तत्वों के अनुसार निधि के उचित प्रशासन के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त समर्पित सेवाओं के लिए मैं अपनी प्रशंसा अभिलिखित करना चाहूँगा.

मैं पेंशनरों को कुशल सेवाएँ प्रदान करने के लिए तथा उनकी शिकायतें दूर करने के लिए वित्त विभाग की पेंशन शाखा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रयासों की भी विशेषरूप से सराहना करता हूँ.

हस्ता/-

स्थान ः मुंबई

(राजीव जलोटा)
अध्यक्ष, मुं.प.प्रा. पेंशन निधी न्यास

दिनांक : **08** नवंबर, 2023

MUMBAI PORT AUTHORITY PENSION FUND TRUST

ADMINISTRATION REPORT 2022-23

I feel privileged to present the Administration Report of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust for the year ended 31st March 2023.

Brief background of the formation of the Trust and performance of the Trust during the financial year 2022-23 is as under:

1. Establishment of MbPA Pension Fund Trust (MbPAPFT)

The MbPT (Pension Fund) Regulations have been framed in accordance with provisions of Income Tax Act, 1961. As per the MbPT (Pension Fund) Regulations, 2004 an irrevocable trust for managing Pension Fund has been created nominating Chairman, Dy. Chairman, Financial Adviser & Chief Accounts Officer, Secretary and Two Labour Trustees of the Mumbai Port Trust as the First Trustees of the 'Mumbai Port Trust Pension Fund Trust'. The MbPT Pension Fund Trust came into existence by executing Trust Deed on 14/01/2004 between Board of Trustees of Port of Mumbai and the First Trustees of Pension Fund Trust.

2. Recognition to MbPT Pension Fund Trust :

The Commissioner of Income Tax Range 12(1), Mumbai by order no.CIT 12/Pension Fund/2003-04 dated 1-3-2004 accorded approval to MbPT Pension Fund in terms of powers vested in him under Rule 2(1) of Part B of IV schedule to Income Tax Act, 1961. Ministry by its letter dated 6.4.2004 conveyed its approval to the Trust. The notification has been published in the Govt. Gazette dated 21 May 2004.

3. Approval for change in Nomenclature of MbPT Pension Fund Trust

The Central Government has appointed the 3rd day of November, 2021 as a date on which provision of Major Port Authorities Act, 2021, came into force. Same was published vide Gazette Notification No. S.O. 4504(E) dated 29.10.2021. Accordingly the MPA Act, 2021 came into force w.e.f. 03.11.2021. Ministry, thereafter, constituted the first Board of the Major Port Authorities vide Gazette Notification dated 31.01.2022.

Accordingly, the Board of Members of the Mumbai Port Authority vide TR No. 02 dated 15.02.2022 have accorded approval to the change the name of "Mumbai Port Trust" as "Mumbai Port Authority" w.e.f. 31.01.2022 i.e. the date of Gazette Notification.

To comply with above, the Trustees of MbPAPFT vide its Resolution No. 02 dated 12.05.2022, have accorded approval to the change the name of Mumbai Port Trust Pension Fund Trust (MbPTPFT) as Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPAPFT).

4. Fund Management by Life Insurance Corporation of India:

In compliance of Rule 89 of Income Tax Rules, 1962 in terms of Board of Trustees resolution No.48 dated 29.03.2004, Life Insurance Corporation of India (LIC) has been appointed as Fund Manager to manage Pension Fund. Every year actuarial valuation of Pension Liability towards existing and future pensioners is worked out by LIC. MbPA has contributed ₹. 825.00 crore in LIC as an investment in MbPA-PFT.

The total investment with LIC as on 31.03.2023 is ₹. 9299.32 crore against ₹. 8948.20 crore as on 31.03.2022. For the F.Y. 2022-23, LIC has declared interest @ 7.90 %. There is an increase in the returns declared by LIC from 7.79% in FY 2021-22 to 7.90% in FY 2022-23. The interest amounting to ₹. 689.62 crore earned on investments of ₹. 8948.20 crore.

5. Actuarial Valuation:

Every year data of existing employees and pensioners is forwarded to LIC and actuarial valuation certificate is furnished by them. For the F.Y. 2022-23 the LIC has worked out total actuarial liability of ₹. 11410.42 crore comprising of ₹. 8805.56 crore towards existing pensioners and ₹. 2604.86 crore towards future pensioners i.e. existing employees. This valuation has been done considering the salary escalation rate @ 6%.

6. Contribution from MbPA :

On the basis of such actuarial liability and in terms of guidelines provided in Mumbai Port Trust (Pension Fund) Regulations, 2004, yearly contribution is made by Mumbai Port Trust to the Pension Fund Trust to bridge the gap to the extent possible. During the year Mumbai Port Trust (MbPT) has contributed an amount of ₹. 825.00 crore to MbPAPFT against contribution of ₹. 565.00 crore in F.Y.2021-22.

7. Withdrawal from principal and accrued interest on Investment of Pension Fund with LIC of India for monthly pension payment.

For the F.Y.2021-22, LIC had declared interest rate of 7.79%. Hence, for the F.Y.2022-23 interest rate @ 7.00% was estimated on conservative basis. Considering contribution of ₹. 825.00 crores and estimated interest amount of ₹ 615.00 crores an amount of ₹. 1163.50 crores has been withdrawn during the year.

8. Fund Position :

The Investment balance as on 31.03.2023 is ₹. 9301.85 crore as against ₹. 8954.37 crore as on 31.03.2022. Considering actuarial valuation of ₹. 11410.42 crore and Investment balance of ₹. 9301.85 crore there is a short funding to the extent of ₹. 2108.57 crore. The shortfall is expected to be made up on availability of surplus revenue in coming years.

9. Financial Position :

During the year, the Fund has earned interest income of ₹. 689.74 crore on its investments. The pension payment of ₹. 1119.41 crore includes an accrued expenditure of ₹. 178.50 crore booked towards arrears arising due to Pension Revision, Consolidation & settlement and on account of pension withheld for non-receipt of Life certificates/Affidavits. Trust has incurred deficit of ₹. 429.66 crore during the year 2022-23 against the deficit of ₹. 340.75 crore in the previous financial year. The deficit has been charged to the Corpus.

10. Position of pensioners as on March–2022 & March-2023 :

A. On the basis of Pension Paid :

Sr. No.	Type of Pension	No. of Pensioners as on	
		31st March 2022	31st March 2023
1.	Superannuation	19133	19350
2.	Family	13385	13733
3.	Ex-Gratia	521	461
	Total	**33039**	**33544**

B. On the basis No of Pensioners:

Sr. No	Particulars	No. of Pensioners as on	
		31st March 2022	31st March 2023
1.	Pension Paid	33039	33544
2.	Temporarily Stopped for :		
	i. Non submission of Aadhar Card, affidavit, medical certificate etc.	211	208
	ii. Non receipt of Life Certificate	1859	1465
	Total	**35109**	**35217**

11. No. of Pension cases finalized during the year :

Type	2021-2022	2022-2023
Superannuation	1133	741
Family	1196	758
Ex-Gratia	0	4
Total	**2329**	**1503**

During the F.Y. 2022-23 the new pension cases increase by 4.27% as against 6.63% in the previous financial year.

12. No. of Death cases during the year :

Type	2021-2022	2022-2023
Superannuation	1240	742
Family	706	511
Ex-Gratia	95	64
Total	**2041**	**1317**

During the F.Y. 2022-23 the death ratio is 3.74% as against 5.81% in the previous financial year.

13. No. of cases where pension is stopped due to non-receipt of life certificate:

	No. of pensioners	Amount not paid (₹. in crore)
(i) Upto FY 2022-23	913	12.67
(ii) During FY 2022-23	596	3.67

14. No. of pensioners to whom additional pension is paid.

Age of pensioners / family pensioners	Additional Benefit (%)	Total pensioners 2021-2022	Total pensioners 2022-2023
From 80 years to less than 85 years	20	1363	374
From 85 years to less than 90 years	30	781	177
From 90 years to less than 95 years	40	356	107
From 95 years to less than 100 years years	50	168	36
100 years and above	100	28	3
Total		**2696**	**697**

During the F.Y. 2022-23 total 1.98% pensioners are very senior citizen as against the 7.67% pensioners in the previous year.

15. Details of D.A. paid to pensioners :

Sr.No	Period	% for F.Y. 2021-2022			% for F.Y. 2022-2023		
		Base Index			Base Index		
		1708	126	277	1708	126	277
1.	April-June	298	166	24	331	186	30
2.	July-Sept	313	174	25	341	192	33
3.	Oct-Dec	322	181	27	350	197	35
4.	Jan-March	380	184	30	359	202	37

The Base Index1708 is increased by 29% as on March-2023 as compared to March-2022
The Base Index 126 is increased by 18% as on March-2023 as compared to March-2022
The Base Index 277 is increased by 7% as on March-2023 as compared to March-2022

15.1. Amount of Pension disbursement - payment mode wise details :

Sr.No.	Payment mode	2021-22	2022-23
	Through Bank	(₹. in Crore)	(₹. in Crore)
1.	CBS (SBI)	343.64	443.32
2.	ECS	509.66	328.51
3.	NEFT	275.83	391.42
4.	Net Accrued pension	-78.15#	-43.84*
	Total	**1050.98**	**1119.41**

* Net accrued pension includes Accrued Pension ₹.(40.09) crore after adjusting ₹.(3.75) crore closure outstanding as on 31.03.2023.

Net accrued pension includes Accrued Pension ₹. (78.18) crore after adjusting ₹. (0.03) crore closure outstanding as on 31.03.2022.

15.2. Details of payment other than regular pension payment – any extra ordinary arrears etc paid during the year :

25% Pension Arrears of ₹ 44.58 crores paid in the month of October 2022 and February 2023 on Revision-2017 during the FY 2022-23.

15.3. Commutation payment :

Commuted value of pension amounting to ₹. 100.34 crore is paid during year 2022-23 as against ₹. 117.65 crore in the previous financial year 2021-22.

15.4. Amendments in Pension Rules / Regulations during the year:

No amendments in pension rules / regulation during the financial year 2022-23. In general proposal has been sent by GAD and SOP in case of the pensioners falling under Category-II. Further extent Pension Regulations are being suitably updated as per provision of MbPA 2021on the line of CCS (Pension) Rules 1972.

15.5. Status of reimbursement / disbursement of Pension by LIC:

₹. 1163.50 crore were withdrawn for disbursement of pension from Life Insurance Corporation of India (LIC) during the financial year 2022-23.

16. Other important Highlights:

- **Highest Pension:**

  During the F.Y. 2022-23 highest pension paid is ₹. 1,31,757/- as against ₹. 1,26,070/- paid in previous financial year.

- **Digital Life Certificate:**

  A system for digital Life Certificate registration of pensioners through "E-Jeevan Praman" is also made available from November-2016. During 2022-23 total 27736 no. of pensioners have availed the facility and forwarded their life certificates in digital form.

- **Mobile Apps MbPT E-Seva:**

  "MbPT e-seva" Application is for the convenience of pensioners to know the details of monthly pension to register their grievances to MbPT and to know the status of complaint lodged. It was introduced on website from November-2017 which is also accessible through android and IOS based mobile phones.

The application provides following Menus :

1. **My Profile Details :**

   Pensioners' details such as their PPO No, Status, AADHAR No., PAN Number, Date of Birth, Address, Date of Appointment, Date of Retirement, Account No., Bank Name etc. are available.

2. **Circulars :**

   Important circulars and life certificate forms are available for downloading.

3. **Feedback/Query :**

   The pensioners can register their grievance. The requests for change in address, marital status, bank details, KYC etc. can also be registered.

4. ERP implementation has been started.

17. Acknowledgment:

I extend my sincere thanks for the support and guidance of the Trustees of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust. I am grateful to the Honorable Members of the Board of Mumbai Port Authority for strengthening the Pension Fund. I wish to thank officials of LIC for their co-operation and expect good returns for the ensuing years. I would like to place on record my appreciation of dedicated services rendered by the officers and staff of Finance Department of Mumbai Port Authority for proper administration of the Fund as per the extant Rules and guidelines mentioned in the Trust Deed.

I specially appreciate the efforts of Officials and staff of Pension Branch of Finance Department for providing efficient services to the pensioners and attending to their grievances promptly.

Place : Mumbai

Date : 08th November, 2023

(Rajiv Jalota)
CHAIRMAN
MBPA-Pension Fund Trust

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
पेंशन निधि न्यास

MUMBAI PORT AUTHORITY
PENSION FUND TRUST

वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS
2022 – 2023

और **/and**

उसपर लेखापरीक्षा रिपोर्ट
THE AUDIT REPORT THEREON

वर्ष 2022–2023 की रिपोर्ट में अंतर्निहित लेखापरीक्षा संबंधी आपत्तियों/अवलोकनों आदि पर की गयी कार्रवाई के विवरण सहित

WITH ACTION TAKEN NOTES ON AUDIT OBJECTIONS OBSERVATIONS CONTAINED IN THE REPORT FOR THE YEAR 2022-23

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust
31.03.2023 का तुलन पत्र
Balance Sheet as on 31.03.2023

ब्यौरा/Particulars	SCHEDULE	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
		(₹)	(₹)
पेन्शन फंड लेखा और देयताएं / Pension Fund Account and Liabilities			
पेन्शन फंड Pension Fund	1	9354,82,41,917.73	8955,34,32,666.06
आरक्षित और अतिरिक्त Reserves And Surpuls	---	---	---
चिन्हित स्थायी निधि Earmarked Endowment Funds	---	---	---
सुरक्षित ऋण और अग्रिम Secured Loans And Advances	---	---	---
असुरक्षित ऋण और अग्रिम Un-secured Loans and Advances	---	---	---
अस्थागित जमा देयताएं Deferred Credit Liabilities	---	---	---
वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान Current Liabilities and Provisions	2	268,33,48,321.00	270,41,03,012.00
कुल/Total		**9623,15,90,238.73**	**9225,75,35,678.06**
परिसंपत्तियाँ /Assets			
नियत परिसंपत्तियाँ Fixed Assets	---	---	---
निवेश -पेन्शन निधिसे Investments - From Pension Fund	3	9299,32,44,497.81	8948,20,33,190.84
निवेश - अन्य Investments - Others	---	---	6,16,76,044.39
वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण तथा अग्रिम Current Assets, Loans and Advances	4	323,83,45,740.92	271,38,26,442.83
फुटकर खर्च (वट्टे खाते में न डाला हुआ) Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)	---	---	---
कुल/Total		**9623,15,90,238.73**	**9225,75,35,678.06**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां/Significant Accounting Policies	9		
लेखा पर टिप्पणियां / Notes on Accounts	10		

उपरोक्त तुलनपत्र मे मेरे/हमारे विश्वास से न्यास की निधि और देयताओं तथा परिसम्पत्ति और सम्पत्ति के सही लेखा समाविष्ट हैं
The above Balance Sheet to the best of my/our belief contains a true account of the Funds and Liabilities and of the Property and Asset of the Trust.

राजीव जलोटा	आदेश तितरमारे	श्रीमती माधुरी वराडे	यु . आर . मोहन राजु	श्रीमती कल्पना देसाई	दत्तात्रय खेसे
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव	न्यासी	न्यासी	न्यासी
Rajiv Jalota	Adesh Titarmare	Smt. Madhuri Varade	U. R. Mohan Raju	Smt. Kalpana Desai	Dattatraya Khese
Chairman	Dy. Chairman	Secretary	Trustee	Trustee	Trustee

Date 30-5-23

Place: MUMBAI-01

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust
31.03.2023 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय खाता
Income And Expenditure Account for the year ended 31.03.2023

ब्यौरा/Particulars	Schedule	for the year ended 31.03.2023	for the year ended 31.03.2022
		(₹)	(₹)
आय/Income			
निवेशोंसे आय (पेंशन निधि से किए गए निवेश पर आय --निधि में अंतरित)/ Income from Investments (Income on Inv. from Pension Fund - Trfd to Fund)	5	689,62,11,306.97	677,06,58,593.42
पेंशन भुगतान के संवितरण के लिए एमबीपीए से भुगतान / Payment recd.from MbPA for disbursement of pension payments	6	0.00	33,00,00,000.00
प्राप्त ब्याज/Interest Earned	7	12,79,645.00	16,17,615
अन्य आय (निवेश कि बिकि पर लाभ)/Other Income (Profit on sale of investment)	---		---
अंतिम उत्पाद / जारी कार्य मे वृध्दि Increase/Decrease in Stock of Finished Goods & Work in Progress	---		---
कुल(क)/Total (A)	---	**689,74,90,951.97**	**710,22,76,208.42**
व्यय/Expenditure			
स्थापना व्यय / Establishment Expenses	8		
i) निवृत्ती वेतन वितरण / Pension Disbursement	---	1119,41,47,045.30	1050,97,91,425.75
अन्य प्रशासकीय व्यय /Other Administrative Expenses	---	---	---
अनुदानों आर्थीक सहायता पर व्यय/Expenditure on Grants, Subsidies etc.	---	---	---
निवेश के प्रतिदान पर घाटा / Loss on redemption of Investments	---	---	---
ब्याज / Interest	---	---	---
पिछले वर्ष से संबंधित मद Item Related to Previous Year	---	---	---
कुल(ख)/ Total (B)	---	**1119,41,47,045.30**	**1050,97,91,425.75**
व्यय से आय अधिक होने से शेष (क-ख) / **Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)**	---	---	---
आय से व्यय अधिक होने से घाटा (क-ख) / **Deficit being excess of Expenditure over Income (A-B)**	---	429,66,56,093.33	340,75,15,217.33
विशेष आरक्षित मे अंतंरित / Transfer to Special Reserve	---	---	---
सामान्य आरक्षित मे/से अंतंरित /Transfer to/from General Reserve	---	---	---
पेन्शन फंड मे आगे लाया गया / Surplus carried to Pension Fund	---	---	---
पेन्शन फंड मे से घाटा निकाला गया / Deficit withdrawn from Pension Fund	---	**429,66,56,093.33**	**340,75,15,217.33**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	9		
लेखा पर टिप्पणियां / Notes on Accounts	10		

राजीव जलोटा	आदेश तितरमारे	श्रीमती माधुरी वराडे	यु. आर. मोहन राजु	श्रीमती कल्पना देसाई	दत्तात्रय खेसे
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव	न्यासी	न्यासी	न्यासी
Rajiv Jalota	Adesh Titarmare	Smt. Madhuri Varade	U. R. Mohan Raju	Smt. Kalpana Desai	Dattatraya Khese
Chairman	Dy. Chairman	Secretary	Trustee	Trustee	Trustee

Date : 30-5-23

Place: MUMBAI-01

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2023 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान

Receipts and Payments for the year ended 31.03.2023

प्राप्ति Receipt	2022-23	2021-22	भुगतान Payments	2022-23	2021-22
	(₹)	(₹)		(₹)	(₹)
I. अधिशेष / Opening Balances			**I. व्यय / Expenses**		
a) हाथ में रोकड / a) Cash in hand	---	---	a) स्थापना व्यय (निवृत्ति वेतन वितरण) a) Establishment Expenses (Pension Disbursement)	11350330031.26	11,22,61,73,786.00
b) बैंक शेष / b) Bank Balances	---	---			---
i) चालू खाते में / In current accounts					
इंडियन बैंक - Indian Bank	3,77,098.50	29,96,026.50	c) प्रशासनिक व्यय / c) Administrative Expenses	1,027.26	4,902.90
भारतीय स्टेट बैंक - State Bank of India	42,00,72,919.58	45,30,61,059.26			
(ii) जमा खातों में / In deposit accounts	---	---	II. विभिन्न परियोजनाओं के निधियों के लिए भुगतान Payments made against funds for various projects	---	---
(iii) बचत खातों में / Savings accounts	---	---			
			III नये निवेश/जमा Investments and deposits made		
II. प्राप्त अनुदान / Grants Received	---	---	a) चिन्हित स्थायी निधी से / a) Out of Earmarked/ Endowment funds	---	---
a) भारत सरकार से / a) From Government of India	---	---	b) खुद के निधी से (एलआयसी में) b)Out of Own Funds (Investments with LIC)	8,25,00,00,000.00	5,65,00,00,000.00
b) राज्य सरकार से / b) From State Government	---	---	c) मियादी जमा (सीएलटीडी) / c) Term Deposit (CLTD)	3495085000.00	1,92,10,00,000.00
c) अन्य स्त्रोंत से / c)From other sources	---	---			
			IV. नियत परिसम्पत्तियो तथा जारी कार्यो पर व्यय Expenditure on Fixed Assets & Capital Work In Progress		
III. निम्न से निवेशो पर प्राप्त आय, Income on Investments from :-			a) नियत परिसम्पत्तियो की खरीद	---	---
अ) चिन्हित स्थायी / निधि (ब्याज) a) Earmarked/Endow Funds (Interest)	---	---	a) Purchase of Fixed Assets	---	---
मोचन पर लाभ / Profit on redumption	---	---	b) जारी कार्यो पर व्यय	---	---
ब) खुद के निधी से (अन्य निवेश)	---	---	b) Expenditure on Capital WIP	---	---
b) Own Funds (other Investment)	---	---			
			V. ऋण की धन वापसी / Refund of Loans		
IV. प्राप्त व्याज / Interest Received			a) भारत सरकार से / a) From Government of India	---	---
अ) बैंक जमा पर (सीएलटीडी)/ a) On Bank Deposits (CLTD)	9,97,872.91	9,49,466.00	b) राज्य सरकार से / b) From State Government	---	---
ब) ऋण अग्रिम आदि / b) Loans & Advances etc.	---	---	c) अन्य / c) Other	---	---

cont...pg4

V. अन्य आय / **Other Income**			VI. वित्तीय प्रभार / **Finance Charges**	---	---
a) मु.प.पा. ने किया अंशदान a) Contribution by MBPA	8,25,00,00,000.00	5,98,00,00,000.00	VII. अन्य भुगतान / **Other Payments**	---	---
b) अंशदान - कर्मचारियों कि अन्यत सेवा b) Foreing Service Contibution	49,68,329.00	1,44,20,952.00	VIII. इतिशेष / **Closing Balances**		
c) अवधि समाप्ती निवेश / c) Invst.Matured (including CLTD)	3,53,14,76,044.39	1,89,98,93,434.97	a) हाथ मे रोकड / a) Cash in hand	---	---
d) एलआईसी से निकासी d) Withdrawal from LIC	11,63,50,00,000.00	10,79,00,00,000.00	b) बैंक शेष / b) Bank Balances	---	---
VI. उधार राशी / Amount Borrowed			i) चालू खाते में / i) In current accounts		
VII. कोइ अन्य प्राप्तीयों / Any other receipts			इंडियन बैंक - Indian Bank	6,30,85,333.50	3,77,098.50
a)मु.प.पा. से प्राप्त (शेष के प्रती) / a) Received from MbPA (against outstanding receivables)	---	---	भारतीय स्टेट बैंक - State Bank of India	79,76,01,864.32	42,00,72,919.58
b) निवृत्ति वेतन बन्द होने से प्राप्य / b) Amount received on account of Pension Closure	4,70,39,257.96	6,00,13,203.25	(ii) जमा खातों मे / In deposit accounts	---	---
c) वितरण की वापसी / c) Disbursement Returned	38,36,095.00	1,62,94,565.00	(iii) बचत खातों में / Savings accounts	---	---
d) ईसीएस भुगतान (मार्च 2023) के लिए इंडियन बैंक में प्राप्त d) received in Indian Bank for ECS payment march 2023	6,23,35,639.00	---			
कुल / Total	**23,95,61,03,256.34**	**19,21,76,28,706.98**	**कुल / Total**	**23,95,61,03,256.34**	**19,21,76,28,706.98**

राजीव जलोटा	आदेश तितरमारे	श्रीमती माधुरी वराडे	यु. आर. मोहन राजु	श्रीमती कल्पना देसाई	दत्तात्रय खेसे
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव	न्यासी	न्यासी	न्यासी
Rajiv Jalota	Adesh Titarmare	Smt. Madhuri Varade	U. R. Mohan Raju	Smt. Kalpana Desai	Dattatraya Khese
Chairman	Dy. Chairman	Secretary	Trustee	Trustee	Trustee

On tour

On Leave

Date : 30-5-23

Place: MUMBAI-01

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31•03•2023 के तुलनपत्र की अनुसूची 1
Schedule - 1 to the Balance Sheet as at 31.03.2023
अनुसूची : निवृत्ती वेतन निधी / Schedule : PENSION FUND

	as on 31.03.2023			as on 31.03.2022		
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
01.04.2022 को अधिशेष / Opening Balance as on 01.04.2022			8955,34,32,666.06			8719,33,93,041.94
जोडे : अंशदान/अन्य प्राप्तीयॉं / Add : Contributions/Other Receipts						
1) अंशदान / Contribution						
a) मु•प•प्रा• ने किया / 2022-23 मे निवृत्ती वेतन के भुगतान के लिए हस्तांगीत कि गई राशी स्वरुप / Amounts by way of Transfers during the year 2022-23 for disbursement of Pension	0.00			0.00		
b) एलआईसी मे की गई निवेश / Amount invested with LIC	825,00,00,000.00			565,00,00,000.00		
c) बीडीएलबी से की गई भुगतान / Payments made by BDLB	0.00			0.00		
		825,00,00,000.00			**565,00,00,000.00**	
2) कर्मचारियों कि अन्यत सेवा / Foreign Service Contribution	57,07,852.00			1,56,56,285.00		
3) निवृत्त सीपीएफ कर्मचारियौं का विश्वस्तों का अंशदान पेंशन फंड को हस्तांतरीत किया / Trustess Contibution to PF in respect of CPF employees Transferred to Pension Fund	3,80,40,270.00			13,54,19,063.45		
4) वर्ष 2022-23 का अधिशेष पूँजी मे लाया गया / Surplus of the year 2022-23 transferred to Pension Fund	0.00	0.00		0.00		
		4,37,48,122.00	**829,37,48,122.00**		**15,10,75,348.45**	**580,10,75,348.45**
घटाएं : भुगतान / अन्य आकार / Less : Payments / Other Charges						
1) अंशदान का भुगतान / Contribution Payment	22,82,777.00			3,35,20,507.00		
2) वर्ष 2022-23 का घाटा पूँजी से निकाला / Deficit for the year 2022-23 withdrawn from Pension Fund	429,66,56,093.33			340,75,15,217.33		
		429,89,38,870.33	4,29,89,38,870.33		344,10,35,724.33	
31.03.2023 को इतिशेष / Closing Balance as on 31.03.2023			**9354,82,41,917.73**			**8955,34,32,666.06**

(श्रीमती माधुरी वराडे)
सचिव
(Smt. Madhuri Varade)
Secretary

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट

Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2023 के तुलनपत्र की अनुसूची - 2

Schedule - 2 to the Balance Sheet as on 31.03.2023

अनुसूची : वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान

Schedule : Current Liabilities and Provisions

	as on 31.03.2023		as on 31.03.2022	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
प्रोदभूत देयताएँ / Accrued Liabilities				
निवृत्ति वेतन भुगतान / Pension Payments	178,50,12,962.00		218,52,12,121.00	
		178,50,12,962.00		218,52,12,121.00
विविध लेनदार / Sundry Creditors				
निवृत्ति वेतन लाभार्थी / Pensioners	53,84,316.00		51,25,316.00	
अन्य / Others	89,29,51,043.00		51,37,65,575.00	
		89,83,35,359.00		51,88,90,891.00
कुल/Total		**268,33,48,321.00**		**270,41,03,012.00**

(श्रीमती माधुरी वराडे)

सचिव

(Smt. Madhuri Varade)

Secretary

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31•03•2023 के तुलनपत्र की अनुसूची -3
Schedule - 3 to the Balance Sheet as at 31.03.2023

अनुसुची ः एलआईसी के साथ पेंशन फंड से निवेश
Schedule :Investments from Pension Fund With LIC

निवेशों के सूची **List of Investment**	**as at 31.03.2023**		**as at 31.03.2022**	
	अंकित मुल्य **Face Value**	लागत मुल्य **Cost Value**	अंकित मुल्य **Face Value**	लागत मुल्य **Cost Value**
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
Long Term Investments:-				
i) एलआयसी के पास / **With LIC**	9299,32,44,497.81	9299,32,44,497.81	8948,20,33,190.84	8948,20,33,190.84
कुल(ब)/**Total**	**9299,32,44,497.81**	**9299,32,44,497.81**	**8948,20,33,190.84**	**8948,20,33,190.84**
उध्दरित न किए निवेश / **Unquoted Investments .....**	**9299,32,44,497.81**	**9299,32,44,497.81**	**8948,20,33,190.84**	**8948,20,33,190.84**

(श्रीमती माधुरी वराडे)
सचिव
(Smt. Madhuri Varade)
Secretary

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट

Mumbai Port Authoritv Pension Fund Trust

31.03.2023 के तुलनपत्र की अनुसूची-4

Schedule - 4 to the Balance Sheet as on 31.03.2023

वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण तथा अग्रिम

Current Assets, Loans , Advances & Other Assets

	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
	as on 31.03.2023		as on 31.03.2022	
A. वर्तमान संपत्ति / A. CURRENT ASSETS :				
1. विविध देनदार / Sundry Debtors				
मुं. प. प्रा. से प्राप्य /Receivable from MBPA				
i) Outstanding for more than six months	225,53,71,011.75			
ii) Others	5,85,45,405.35	231,39,16,417.10		225,53,71,011.75
निवृत्ति वेतन लाभार्थीयो से प्राप्य / Receivable from Pensioners				
i) Outstanding for more than six months	3,72,93,641.00			3,72,93,641.00
ii) Others	2,79,726	3,75,73,367.00		
		235,14,89,784.10		**229,26,64,652.75**
2 . बैंक शेष / Bank Balances				
अनुसूचित बैंकों के साथ / With Scheduled Banks				
इंडियन बैंक - खाता कं 415242112 Indian Bank - A/C No. 415242112	6,30,85,333.50		377098.50	
भारतीय स्टेट बैंक - खाता कं 10996687573 State Bank of India - A/C No.10996687573	79,76,01,864.32	**86,06,87,197.82**	42,00,72,919.58	**42,04,50,018.08**
बैंकों के साथ सावधि जमा (सीएलटीडी) Term Deposit with banks (CLTD)				
i) लंबी अवधि के निवेश / Long Term Investments	0.00		0.00	
ii) वर्तमान निवेश / Current Investments	2,52,85,000.00	2,52,85,000.00	6,16,76,044.39	**6,16,76,044.39**
		88,59,72,197.82		**48,21,26,062.47**
कुल [A]/Total [A]		**323,74,61,981.92**		**277,47,90,715.22**
B. Loans, Advances and Other Assets **ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियां**				
1) प्रोदभूत आय / Accrued Income				
सीएलटीडी जमा पर प्रोदभूत व्याज / Accrued Interest on CLTDs	8,83,759.00		7,11,772.00	
कुल [B]/Total [B]		**8,83,759.00**		**7,11,772.00**
कुल [A+B]/Total [A+B]		**323,83,45,740.92**		**277,55,02,487.22**

(श्रीमती माधुरी वराडे)

सचिव

(Smt. Madhuri Varade)

Secretary

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लिए अनुसूची- 5

Schedule-5- to the Income & Expenditure For The Year Ended 31.03.2023

अनुसूची - निवेश से आय
Schedule - INCOME FROM INVESTMENTS

	for the year ended 31.03.2023	for the year ended 31.03.2022
	(₹)	(₹)
(पेंशन फंड से निवेश पर आय) (Income on Investments from Pension Fund)		
i) ब्याज i) Interest		
a) एलआईसी से a) From LIC	689,62,11,306.97	677,06,58,593.42
b) अन्य b) Others	-	-
कुल / TOTAL	**689,62,11,306.97**	**677,06,58,593.42**
पेंशन फंड में अंतरित /TRANSFERRED TO PENSION FUND	**689,62,11,306.97**	**677,06,58,593.42**

(श्रीमती माधुरी वराडे)
सचिव
(Smt. Madhuri Varade)
Secretary

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लिएअनुसूची- 6

Schedule-6- to the Income & Expenditure For The Year Ended 31.03.2023

अनुसूची - पेंशन भुगतान के संवितरण के लिए एमबीपीए से प्राप्त भुगतान
Schedule - Payment recd.from MBPA for disbursement of pension payments

	for the year ended 31.03.2023	for the year ended 31.03.2022
	(₹)	(₹)
पेंशन भुगतान के संवितरण के लिए एमबीपीए से प्राप्त भुगतान / Payment recd. from MbPA for disbursement of pension payments	0.00	33,00,00,000.00
कुल / TOTAL	**0.00**	**33,00,00,000.00**

(श्रीमती माधुरी वराडे)
सचिव
(Smt. Madhuri Varade)
Secretary

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लिए अनुसूची- 7
Schedule-7- to the Income & Expenditure For The Year Ended 31.03.2023

अर्जित ब्याज / Interest Earned

	for the year ended 31.03.2023	for the year ended 31.03.2022
	(₹)	(₹)
अर्जित ब्याज / Interest Earned		
i) सावधि जमा पर / On Term Deposits :		
a) अनुसूचित बैंकों के साथ / With Scheduled Banks	12,79,645.00	16,17,615.00
b) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ / With Non-Scheduled Banks	-	-
कुल / TOTAL[A]	**12,79,645.00**	**16,17,615.00**
ii) बचत खातों पर / On Savings Accounts :		
a) अनुसूचित बैंकों के साथ / With Scheduled Banks	-	-
b) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ / With Non-Scheduled Banks	-	-
कुल / TOTAL[B]	**12,79,645.00**	**16,17,615.00**
कुल / TOTAL[A+B]	**25,59,290.00**	**16,17,615.00**

(श्रीमती माधुरी वराडे)
सचिव
(Smt. Madhuri Varade)
Secretary

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लिए अनुसूची-8
Schedule-8- to the Income & Expenditure For The Year Ended 31.03.2023

अनुसूची - स्थापना व्यय (पेंशन संवितरण)
Schedule- ESTABLISHMENT EXPENSES (PENSION DISBURSEMENT)

	for the year ended 31.03.2023	for the year ended 31.03.2022
	(₹)	(₹)
स्थापना व्यय (पेंशन संवितरण) / ESTABLISHMENT EXPENSES (PENSION DISBURSEMENT)		
i) अधिवर्षिता निवृत्ती वेतन भुगतान / Superannuation Pension Payments	686,20,53,362.30	638,94,50,053.00
ii) निवृत्ती वेतन कम्यूटेशन / PENSION COMMUTATION - P. O. No. 532/05.06.2018	114,05,96,770.00	117,28,33,186.00
iii)पारिवारिक निवृत्ती वेतन भुगतान / Family Pension Payments	314,08,11,409.00	293,81,59,361.75
iv) सानुग्रह निवृत्ती वेतन अनुदान भुगतान / Ex-Gratia Pension Payments	5,06,85,504.00	93,48,825.00
कुल / TOTAL	**1119,41,47,045.30**	**1050,97,91,425.75**

(श्रीमती माधुरी वराडे)
सचिव
(Smt. Madhuri Varade)
Secretary

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ

केंद्र सरकार ने दि 3 नवंबर 2021 को जिस दिन महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधान लागू होने की तिथी तय की है. जिसे दिनांक 29.10.2021 को राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4504(ई) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था. तद्नुसार 03.11.2021 से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 प्रभावी हुआ. इसके बाद मंत्रालय ने दिनांक 31.01.2022 की राजपत्र अधिसूचना के तहत महापतन प्राधिकरणों के पहले बोर्ड का गठन किया. तदनुसार मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्यो ने दि. 15.02.2022 न्या. संकल्प संख्या 02 के माध्यम से दिनांक 31.01.2022 यांनि राजपत्र अधिसूचना की तिथि से "मुंबई पोर्ट ट्रस्ट" के नाम को "मुंबई पत्तन प्राधिकरण" के रूप में बदलने को अनुमोदन प्रदान किया.

उपरोक्त का अनुपालन करने के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के न्यासियों ने अपने दि 12.05.2022 संकल्प संख्या 02 के माध्यम से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधि न्यास (एमबीपीटीपीएफटी) के नाम को मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास (एमबीपीएपीएफटी) के रूप में बदलने की मंजूरी दे दी है.

अनुसूची 09 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(i) निधि के वित्तीय लेनदेन की प्रस्तुति की दृष्टि से लेखांकन कार्यप्रणाली तैयार की गयी है.

(ii) लेखा विधि के प्रोद्भूत आधार पर तथा ऐतिहासिक लागत परंपरा के अधीन वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं.लेखों की प्रस्तुति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार है. यानी केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों का एक समान प्रारूपानुसार.

(iii) निवेश -

लेखाविधि मानक 13 के अनुसार निवेश संबंधी जानकारी जैसे कि उद्धुत तथा अन उद्धुत (भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ किए गये निवेशों सहित) निवेश की कुल राशि तुलन पत्र के अनुसूची-III में दिखायी गयी है. कमीशन और संबंधित मदो को ध्यान में लेते हुए निवेश लागत पर मूल्यांकित किए गए है.

(iv) राजस्व की जानकारी -

(ए) ब्याज की गणना प्रोद्भूत आधार पर की जाती है.

(बी) दि. 29.03.2004 के न्यासी मंडल की संकल्प संख्या 48 के अनुसार आयकर नियम 1962 के नियम 89 के अनुपालन में भारतीय जीवन बीमा निगम (मा.जी.बी.नि.) को पेंशन निधि के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रत्येक वर्ष में उनके द्वारा वर्तमान तथा भविष्य के पेंशनरों के प्रति बीमांकिक पेंशन देयता परिकलीत की जाती है. इस बिमांकिक देयता के आधार पर तथा मुंबई पत्तन प्राधिकरण

(पेंशन फंड) विनियम 2004 में दिए गए मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा मु. प. प्रा. पेंशन निधि न्यास (एमबीपीएपीएफटी) में वार्षिक अशदान किया जाता है.

मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास में भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश के रूप में रु. 825,00,00,000 का अंशदान किया है. जिसकी विस्तृत जानकारी अनुसूची-I में दिखाई गयी है.

अनुसूची 10. लेखों पर टिप्पणियाँ :

I. केंद्र सरकार ने नौवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) के दि. 21.05.2004 की माध्यम से अधिसूचना सं. पीआर 12016/24/2002 पीई-1 द्वारा मुंबई पत्तन न्यास (पेंशन फंड) विनियमन 2004 को मंजूरी दी जो की दि. 21.05.2004 अधिसूचना जीएसआरसं. 341(ई) भारत के राजपत्र में भाग ॥, खंड 3 उपखंड 3(i) के तहत प्रकाशित हुई. मुंबई पत्तन न्यास के न्यासी मंडल और पेंशन फंड ट्रस्ट के न्यासियों के बीच 14 जनवरी 2004 को निष्पादित न्यास विलेख द्वारा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट अस्तित्व में आया. आयकर आयुक्त क्षेत्र 12 (1), मुंबई ने कुछ शर्तों के अधीन आयकर अधिनियम 1961 के अनुसूची IV के पार्ट बी के नियम 2 (1) के अधीन उन्हें प्रदत्त अधिकारों के अनुसार दि. 1.3.2004 के आदेश क्र. सीआयटी. 12पेंशन फंड2003-04 द्वारा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधि को अनुमोदन दिया. मंत्रालयने उनके दि. 6.4.2004 के पत्र द्वारा न्यास को अनुमोदन सूचित किया. दि. 21 मई 2004 के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी.

II. पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) द्वारा जारी दि.09.01.2015 की अधिसूचना सं. एलबी 13022/4/1997एलIV/डीओ (I) के अनुसार बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड को दि. 01.01.2015 से विधिवत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ विलय कर दिया गया था. इस प्रकार दिनांक 01.01.2015 से भूतपूर्व बीडीएलबी के वर्तमान तथा भविष्यकालीन पेंशनरों के प्रति पेंशन देयता को मुंपोट्र पेंशन निधि न्यास द्वारा वहन किया जाता है तथा पेंशन भुगतान पर व्यय का हिसाब मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेशन फंड ट्रस्ट की बहियों में रखा गया है.

III. भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि.) द्वारा निधि प्रबंधन :

(ए) (भा.जी.बी.नि. को पेंशन निधि के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है. प्रत्येक वर्ष बिमांकिक देयता की पूर्तता के लिए राशि भा.जी.बी.नि. के साथ निवेश की जाती है. भा.जी.बी.नि. के साथ किए गए निवेशों पर प्राप्त ब्याज को भी भा.जी.बी.नि. के पास रखा जाता है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भा.जी.बी.नि. के साथ रु.825,00,00,000 की राशि निवेश की गई. वित्तीय वर्ष 2022-23 में ब्याज @7.90% रु. 689,62,11,306.97 की राशि भा.जी.बी.नि. से प्राप्त हुई जिसे भा.जी.बी.नि. में पुनः निवेश किया गया. दि. 31.03.2023 तक भा.जी.बी.नि. में कुल निवेश रु. 9299,32,44,497.81 है. दि. 31.03.2022 तक भा.जी.बी.नि. में कुल निवेश रु. 8948,20,33,190.84 था.

(बी) **<u>बीमांकिक मूल्यांकन</u>**

भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि दि. 31.03.2023 को कुल देयता रु. 11410.42 करोड़ है अर्थात वर्तमान पेंशनरों के प्रति रु. 8805.56 करोड़ है और भविष्यकालीन पेंशनरों (वर्तमान कर्मचारी) के प्रति रु. 2604.86 करोड़ है.

यह मूल्यांकन वेतन बढ़ोतरी की 6% दर को ध्यान में लेते हुए किया गया है. दि. 31.03.2023 निधि की जमा राशि रु. 9301.85 करोड़ पर विचार करें तो रु. 2108.57 करोड़ का कम निधी है जिसे मुख्य रूप से नियोजित भूमि विमुद्रीकरण से अधिशेष निधियों उपलब्ध होने पर पूरा कर दिया जायेगा.

IV. मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के न्यास विलेख के प्रावधानों के अनुसार न्यासियों द्वारा उठाये गये लेखा परीक्षा शुल्क सहित निधि के संचालन संबंधी सभी प्रशासकीय व्यय मुंबई पत्तन प्राधिकरण के न्यासी मंडल द्वारा उठाया जाएगा. इसलिए आय और व्यय लेखा में प्रशासकीय व्यय को नहीं दिखाया गया है.

V. आय और व्यय विवरण में वर्ष 2022-23 में अर्जित ब्याज आय की तरफ दिखायी गयी है. इसमें भा.जी.बी.नि. से प्राप्त ब्याज रु. 689,62,11,306.97 और सीएलटीडी से अर्जित ब्याज रु. 12,79,645.00 सम्मिलित है. व्यय कि तरफ दिखाये गये रू 1119,41,47,045.30 के कुल व्यय में पेंशन सुधार समेकन तथा समाधान के कारण उत्पन्न बकाया राशि तथा जीवन प्रमाणपत्रो की प्राप्ति न होने के कारण रोख के रखी गयी पेंशन प्रति बही खाते में लिखा गया रु 178,50,12,962.00 का उपार्जित व्यय शामिल है. रु. 429,66,56,093.33 के घाटे को पेंशन निधि से प्रभारित किया गया है.

VI. भूतपूर्व बीडीएलबी पेंशन निधि के अंतरण के कारण मुख्यतः विविध देनदार के रूप में प्राप्य रु. 231,39,16,417.10 की राशि को 'वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ ' मद के अंतर्गत दिखाया गया है. इसमें रु. 225,53,71,011.75 छह महीने से अधिक समय से बकाया और अन्य रु. 5,85,45,405.35 शामिल हैं.

VII. 31/03/2023 को पेंशनभोगियों से देय राशी रु. 3,75,73,367.00 को 'चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्ति' के तहत विविध देनदार (पेंशनरों से प्राप्य) दिखाया गया है. इसमें रु. 3,72,93,641.00 छह महीने से अधिक समय से बकाया और अन्य रु. 2,79,726.00 शामिल हैं. वसूली प्रक्रियाधीन है

VIII. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 187 ऐसे मामले हैं जिनमें संबंधित पेंशनरों से जीवन प्रमाणपत्र/शपथपत्र नहीं होने पर पेंशन रोक दी गई है. कुल मिलाकर रु.2,35,23,462 के ऐसे मामले हैं. पेंशन पुनरीक्षण

समेकन एवं पेंशनभोगियों को देय निपटान के कारण कुल रु.157,90,26,374 बकाया राशि हैं. इसी तरह रु.16,31,93,602 सेवानिवृत्ति बकाया, रु.1,78,59,309 अनुग्रह राशि (डीए बकाया) और रु.14,10,215 विदेशी सेवा योगदान के कारण भुगतान नहीं किया गया है. .इस प्रकार, रु.178,50,12,962.00 की अर्जित देनदारी को "वर्तमान देयताएं और प्रावधान" शीर्ष के तहत दर्ज किया गया है।

IX. निधियों के स्रोत और उनके उपयोग का विवरण निम्नप्रकार है..

	स्रोत	**(रु. राशि में)**
1	मुंबई पत्तन प्राधिकरण से भा.जी.बी.नि. को अंशदान	825,00,00000.00
2	कर्मचारियों के अन्यत्र सेवा से अंशदान	57,07,852.00
3	सीपीएफ कर्मचारियों के संबंध मे भविष्य निर्वाह निधि में न्यासियों का अंशदान	3,80,40,270.00
	कुल	**829,37,48,122.00**
	उपयोगिता	
1	निवेश में वृद्धि	351,12,11,306.97
2	अंशदान का भुगतान	22,82,777.00
3	वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों तथा अन्य परिसंपत्तियों में वृद्धि	46,28,43,253.70
4	वर्तमान देयताओं में कमी	2,07,54,691.00
5	आय से ऊपर व्यय की अधिकता (घाटा)	429,66,56,093.33
	कुल	**829,37,48,122.00**

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
राजीव जलोटा अध्यक्ष	आदेश तितरमारे उपाध्यक्ष	श्रीमती माधुरी वराडे सचिव
हस्ता-/	हस्ता/-	हस्ता/-
यू. आर. मोहन राजू न्यासी	श्रीमती कल्पना देसाई न्यासी	दत्तात्रय खेसे न्यासी

.....

The Central Government has appointed the 3rd day of November, 2021 as a date on which provision of Major Port Authorities Act, 2021, came into force. Same was published vide Gazette Notification No. S.O. 4504(E) dated 29.10.2021. Accordingly the MPA Act, 2021 came into force w.e.f. 03.11.2021. Ministry, thereafter, constituted the first Board of the Major Port Authorities vide Gazette Notification dated 31.01.2022. Accordingly, the Board of Members of the Mumbai Port Authority vide TR No. 02 dated 15.02.2022 have accorded approval to the change the name of "Mumbai Port Trust" as "Mumbai Port Authority" w.e.f. 31.01.2022 i.e. the date of Gazette Notification.

To comply with above, the Trustees of MbPAPFT vide its Resolution No. 02 dated 12.05.2022, have accorded approval to the change the name of Mumbai Port Trust Pension Fund Trust (MbPTPFT) as Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPAPFT).

Schedule 09. Significant Accounting Policies :

(i) The accounting system has been devised with a view to enable presentation of financial transactions of the Fund.

(ii) The financial statements are prepared under the historical cost convention and on the accrual basis of Accounting. The presentation of accounts is as per the prescribed format as specified by C&AG. i.e. Uniform format of Accounts for Central Autonomous Bodies.

(iii) Investments –

In terms of Accounting Standard 13, information relating to investments viz. aggregate amount of quoted and non-quoted investments (inclusive of investments with LIC), has been disclosed in the schedule III to the Balance Sheet. Investments are valued at cost after taking into consideration the commission and allied items.

(iv) Revenue Recognition –

(a) The interest is accounted on accrual basis.

(b) To comply with Rule 89 of Income Tax Rules, 1962 in terms of Board of Trustees Resolution No.48 dated 29.03.2004, LIC of India has been appointed as Fund Manager to manage Pension Fund. Every year Actuarial Pension Liability towards existing and future pensioners is worked out by them. On the basis of such

actuarial liability and in terms of guidelines provided in Mumbai Port Authority (Pension Fund) Regulations, 2004, yearly contribution is made by Mumbai Port Authority to the MbPA Pension Fund Trust (MbPA-PFT). During F.Y.2022-23 Mumbai Port Authority has contributed in MbPA-PFT an amount of ₹ 825,00,00,000 as investment in LIC. Details are reflected in Schedule I.

Schedule 10. Notes on Accounts :

I. The Central Government through Ministry of Shipping (Port Wing) conveyed by Notification No. PR-12016/24/2002-PE-I dated 21.05.2004 sanction to Mumbai Port Trust (Pension Fund) Regulation, 2004 which notification published under GSR No. 341(E) in the Gazette of India, Part II, Section 3. Subsection 3(i) dated 21.05.2004. The Mumbai Port Trust Pension Fund Trust came into existence by virtue of Trust Deed executed on 14 January 2004 between the Board of Trustees of Mumbai Port Trust and the Trustees of Pension Fund Trust. The Commissioner of Income Tax Range 12(1), Mumbai by order no. CIT 12/Pension Fund/2003-04 dated 1-3-2004 accorded approval to MbPT Pension fund in terms of powers vested in him under Rule 2(1) of Part B of IV schedule to Income Tax Act, 1961 subject to certain conditions. Ministry by its letter dated 6.4.2004 conveyed its approval to the Trust. The notification has been published in the Govt. Gazette dated 21st May 2004.

II. By notification bearing No. LB-13022/4/1997-L-IV/DO(I) dated 09.01.2015 issued by Ministry of Shipping (Ports Wing), the Bombay Dock Labour Board has been legally merged with Mumbai Port Trust w.e.f. 01.01.2015. As such, w.e.f. 01.01.2015 pension liability towards Ex-BDLB's existing and future pensioners is borne by MbPA Pension Fund Trust and expenditure towards pension payment has been accounted for in the books of MbPA Pension Fund Trust.

III. Fund Management by LIC

a) LIC is entrusted with the management of Pension Fund. To meet the actuarial liability every year, monies are invested with LIC. Interest on investments with LIC is also retained with LIC. During the year, an amount of ₹ 825,00,00,000 have been invested with LIC. Interest @ 7.90% p.a. amounting to ₹ 689,62,11,306.97 has been received from LIC for F.Y.2022-23. The total investment with LIC is ₹ 9299,32,44,497.81 as on 31.03.2023. The investment as on 31.03.2022 was ₹ 8948,20,33,190.84

b) Actuarial Valuation

LIC of India has informed the total actuarial liability of ₹ 11410.42 crore as on 31.03.2023 comprising of ₹ 8805.56 crore towards existing pensioners and ₹ 2604.86 crore towards future pensioners (existing employees).

This valuation has been done considering the salary escalation rate @ 6%. Considering the fund balance of ₹ 9301.85 crore as on 31.03.2023, there is a short funding of ₹ 2108.57 crore which will be made up on availability of surplus revenue in coming years.

IV. As per the provisions of Trust Deed of MbPA-PFT, all the administrative expenses incurred by the Trustees in connection with administration of fund and the audit fees shall be borne by the Board of Trustees of Mumbai Port Authority. Hence, no administrative expenses are shown in the Income & Expenditure Account.

V. In the Income and Expenditure statement, the interest earned during the year 2022-23 has been shown as the income side. Interest of ₹ 689,62,11,306.97 received from LIC and ₹ 12,79,645.00 received on CLTD. The total expenditure of ₹ 1119,41,47,045.30 shown at the expenditure side includes an accrued expenditure of ₹ 178,50,12,962.00 booked towards arrears arising due to Pension Revision, Consolidation & settlement and on account of pension withheld for non-receipt of Life certificates. The deficit of ₹ 429,66,56,093.33 has been charged to the pension fund.

VI. The amount of ₹ 231,39,16,417.10 as Sundry Debtors (Receivable from MbPA) mainly on account of transfer of Pension Fund of Ex-BDLB, has been shown under the head 'Current Assets, Loans, Advances & Other Assets'. This includes ₹225,53,71,011.75 outstanding for more than six months and others ₹ 5,85,45,405.35.

VII. Sundry Debtors (Receivable from Pensioners) reflected under 'Current Assets, Loans, Advances & Other Assets' of ₹ 3,75,73,367.00 due from Pensioners as on 31/03/2023. This includes ₹ 3,72,93,641.00 outstanding for more than six months and others ₹ 2,79,726.00. The recoveries are under process.

VIII. During the F.Y.2022-23, there are 187 cases where pension has been withheld for non receipt of the Life Certificates/Affidavit from the concerned pensioners. Such cases aggregating to ₹ 2,35,23,462. The arrears amount due on account of Pension Revision, Consolidation and settlement due to pensioners aggregating to ₹ 157,90,26,374. Similarly, ₹ 16,31,93,602 has been unpaid on account of superannuation dues, ₹ 1,78,59,309 due on account of ex-gratia (DA arrears) and ₹ 14,10,215 on accounts of foreign service contributions. Thus, accrued liability of ₹ 178,50,12,962.00 has been booked under the head "The Current Liabilities and Provisions".

IX. The details of sources and utilization of funds are as under :-

	Sources	**Amount in ₹**
1.	Contribution from MbPA to LIC	825,00,00,000.00
2.	Foreign Service Contribution	57,07,852.00
3.	Trustees contribution to PF in respect of CPF employees.	3,80,40,270.00
	Total	**829,37,48,122.00**
	Utilization	
1.	Increase in Investments	351,12,11,306.97
2.	Contribution Payment	22,82,777.00
3.	Increase in Current Assets, Loan, Advances & other Assets	46,28,43,253.70
4.	Decrease in Current Liabilities	2,07,54,691.00
5.	Excess of Expenditure over Income (Deficit)	429,66,56,093.33
	Total	**829,37,48,122.00**

Rajiv Jalota
Chairman

on Tour
Adesh Titarmare
Dy. Chairman

Smt. Madhuri Varade
Secretary

on Leave
U.R. Mohan Raju
Trustee

Smt. Kalpana Desai
Trustee

Dattatraya Khese
Trustee

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971, की धारा 19 (2), साथ पढ़ें मुंबई पत्तन (पेंशन फंड) विनियम, 2004 के विनियम, अनुबंध (न्यास डीड) के खंड 13 और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 75 (2) (बी) (एफ) के अंतर्गत मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के 31 मार्च 2023 के अनुसार संलग्न तुलन पत्र और आय और व्यय खाते और प्राप्ति और भुगतान की लेखापरीक्षा की हैं. ये वित्तीय विवरण न्यास के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना हैं.

2 इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) में केवल लेखा-पध्दति आचरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों का सामवेश हैं जो सिर्फ वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखा पध्दति, लेखा कार्य प्रणालियों , मानकों की अनुरूपता तथा प्रगटीकरण मानकों आदि के संबंध में हैं. विधि, नियम तथा विनियम (उपयुक्तता तथा नियमितता) के अनुपालन और सक्षमता- सह निष्पादन पहलू आदि के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा अवलोकन यदि कोई हैं, निरीक्षण रिपोर्ट/ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए अलग से रिपोर्ट की गई हैं.

3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की हैं. इन मानकों में हमें वित्तीय विवरण वस्तुगत गलत कथन से मुक्त हैं, इस संबंधी पर्याप्त विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा नियोजित तथा तामील करना अपेक्षित हैं. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण और राशियों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सबूतों की परीक्षण आधारपर जॉच करने का समावेश हैं. लेखापरीक्षा में उपयुक्त लेखा पद्धति सिद्धांतो और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के निर्धारण एवं वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति के मूल्यांकन का भी समावेश हैं. हम विश्वास रखते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती हैं.

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधारपर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमें सभी जानकारी और स्पष्टिकरण प्राप्त हुए हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए हमारे अधिकतम जानकारी और विश्वास के लिए आवश्यक थे.

(ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, तथा आय-व्यय लेखा भुगतानों को महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44 (1) के अधीन न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं.

(iii) हमारी राय में प्रमुख महापत्तन अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के अधीन आवश्यकता के अनुसार लेखा बहियो और अन्य संबंधित रिकार्ड को मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा उचित रूप से रखा गया हैं जहाँ तक ऐसी बहियों की हमारी जाँच से पता चलता हैं.

(iv) हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि –

ए) तुलन पत्र

ए.1 पेंशन निधि लेखा और देयताए - रू 9354.82 करोड़ (अनुसूची 1)

न्यास विलेख (14 जनवरी 2004) द्वारा कर्मचारियों तथा भूतपूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयता को पूरा करने के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास बनाया गया. भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि) को पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए निधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया हैं. भा.जी.बी. नि के द्वारा प्रति वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता हैं. जिसके आधार पर मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा भा.जी.बी.नि. के पास राशि निवेश की जाती हैं,

दि. 31-03-2023 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कुल पेंशन देयता रू. 11410.42 करोड़ (रू. 8805.56 करोड वर्तमान पेंशनरों के लिए तथा रू. 2604.86 करोड भावी पेंशनरों के लिए) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित की हैं. 31 मार्च 2022 को पेंशन निधि में शेष राशि रू. 9354.82 करोड थी. बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए निधि शेष में रू. 2055.60 करोड की कमी हैं.

पेंशन देयता के लिये किये गये कम प्रावधान के परिणाम स्वरूप देयताए (पेंशन निधि खाता) तथा परिसंपत्तिया (वर्तमान परिसंपत्तिया, ऋण तथा अग्रिम "मुंबई पत्तन प्राधिकरण से प्राप्य") रू 2055.60 करोड तक कम बतायी गयी हैं. लेखापरीक्षक वर्ष 2012-2013 से पेंशन देयता के प्रावधान की इस कमी की तरफ इंगित कर रहे हैं.

ए.2 चालू परिसंपत्तियां ऋण और अग्रिम
विविध देनदार (अनुसूची 4)
निवृत्ति वेतन लाभार्थियों से प्राप्य ः रू.3.75 करोड़

उपरोक्त राशि ₹ 3.75 करोड़ 31.03.2023 तक पेंशनभोगियों से प्राप्तियों से संबंधित है. उक्त राशि में से, ₹ 2.19 करोड़ की प्राप्य राशि 3 वर्षों से अधिक से संबंधित है. जैसा कि लेखापरीक्षा को बताया गया है, देनदारों की प्रकृति पेंशनभोगी को अतिरिक्त प्रेषण है (अर्थात् पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद, पेंशनभोगियों की मृत्यु के संबंध में एमबीपीए-पीएफटी द्वारा जानकारी प्राप्त न होने के कारण) इसके अलावा, मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई लेखांकन नीति नहीं अपनाई गयी है.

यह ध्यान में रखते हुए कि इन पुराने बकाया शेष की वसूली की संभावना बहुत कम प्रतीत होती है, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान न बनाने के परिणामस्वरूप विविध देनदारों की संख्या अधिक बताई गई और घाटे (आय पर व्यय की अधिकता) को ₹ 2.19 करोड़ से कम बताया गया है.

बी. प्रबंधन पत्र

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया हैं उसे उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किये गये प्रबंधन पत्र के माध्यम से न्यास के ध्यान में लाया गया हैं.

(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे अवलोकनों के अधीन हम यह रिपोर्ट करते हैं की इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखे, लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

(vi) हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टिकरणों के अनुसार लेखा नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उपरोक्त वित्तीय विवरण तथा उपरोक्त बताये गए महत्वपुर्ण मामलों के अधीन और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-I में उल्लेखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिध्दातों के अनुरूप सही तथा स्पष्ट चित्र दर्शाते हैं.

(ए) जहाँ तक यह 31 मार्च 2023 को मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास की स्थिती के अनुसार तुलन-पत्र से संबंधित हैं; और

(बी) जहाँ तक यह उस दिन को समाप्त वर्ष के घाटे के आय और व्यय लेखा से संबंधित हैं.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक के लिए और की ओर से

हस्ता/-

(गुलजारी लाल)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन)
मुंबई

स्थान: मुंबई,

दिनांक : 05 अक्तूबर 2023

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2022-23 के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास (एमबीपीए पीएफटी) का आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी हो गयी है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया है.

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ करने की आवश्यकता हैं क्योंकि बैंक समाधान विवरण की समीक्षा से संकेत मिलता हैं कि:

(ए) अनुसूची 4 में दर्शाए गए बैंक बैलेंस (₹ 86.06 करोड़) 9 चेकों के संबंध में ₹ 0.83 लाख की कटौती के बाद था, जो अप्रैल 2006 से जारी किए गए थे और 31.03.2023 को 3 महीने से अधिक पुराने थे. उसे रद्द नहीं किया गया है और न ही वापस लिखा गया है. इसके परिणामस्वरूप नकदी और बैंक शेष को ₹ 0.83 लाख तक कम बताया गया है

(बी) अनुसूची 4 में दर्शाए गए बैंक बैलेंस (₹ 86.06 करोड़) में अप्रैल 2006 से बैंक में जमा की गई ₹ 27.18 लाख की राशि भी शामिल है जो 31.03.2023 तक बैंक द्वारा जमा नहीं की गई, इसके कारण नकदी और बैंक शेष को ₹ 27.18 लाख से अधिक बताया गया है.

(सी) इसके अलावा, निम्नलिखित अनुसूची 4 में दर्शाये गए बैंक बैलेंस में शामिल नहीं है.

(i) ₹ 52.82 लाख बैंक द्वारा जमा किए गए परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा हिसाब में नहीं दिखाया गया.

(ii) ₹ 10.66 लाख बैंक द्वारा नामे डाले गयी परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा हिसाब में नही दिखाया गया.

3. अचल परिसंपत्तियाँ के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के पास अचल परिसंपत्तियाँ नही है इसलिए अचल परिसंपत्तियाँ का वास्तविक सत्यापन मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास को लागू नही है.

4. मालसूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली ः

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के पास मालसूची नही है इसलिए मालसूची का वास्तविक सत्यापन मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास को लागू नही है.

5. संविधिक देय राशि के भुगतान की नियमितता.:

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के सांविधिक देय राशि का भुगतान मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया है अतः वह मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास को लागू नही है.

हस्ता/-

उपनिदेशक

स्थान ः मुंबई

दिनांक ः 05 अक्तूबर 2023

SEPARATE AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF THE MUMBAI PORT AUTHORITY PENSION FUND TRUST FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023.

We have audited the attached Balance Sheet of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust as at 31 March 2023 and the Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account for the year ended 31 March 2023 under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Services) Act 1971, read with Regulation 4 of the Mumbai Port Trust (Pension Fund) Regulations, 2004, clause 13 of the Annexure (Trust deed) and section 75 (2) (b) (f) of Major Port Authorities Act, 2021.These financial statements are the responsibility of the Trust's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, is reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Board under Section 44(1) of the Major Port Authority Act, 2021;

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust required under Section 44(1) of the Major Port Authority Act, 2021 in so far as it appears from our examination of such books

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Pension Fund Account and Liabilities –₹9,354.82crore(Schedule I)

Mumbai Port Trust Pension Fund Trust was formed vide a Trust Deed (14 January 2004) to meet the pension liability of employees and ex-employees. Life Insurance Corporation (LIC) has been appointed as the Fund Manager to manage the Pension Fund. LIC does the actuarial valuation every year based on which the money is invested by Mumbai Port Trust with LIC.

The total pension liability as per actuarial valuation as on 31.03.2023 as intimated by LIC was ₹11,410.42 crore (₹8,805.56 crore towards existing pensioners and ₹2,604.86 crore towards future pensioners). The pension fund balance as on 31 March 2023 was ₹9,354.82 crore. Considering the Actuarial Valuation Report, there is a shortfall of ₹2,055.60 crore in the Fund Balance.

The shortfall has resulted in understatement of liabilities (Pension Fund Account) and Assets (Current Assets, Loans and Advances – "Receivable from Mumbai Port Trust") to the extent of ₹2,055.60crore.

Audit has been pointing out the shortfall in provisioning for pension liability since 2012-2013.

A.2 Current Assets, Loans and Advances
Sundry Debtors (Schedule 4)
Receivables from Pensioners:₹3.75 crore

The above amount of ₹3.75 Crore related to receivables from pensioners as on 31.03.2023. Out of the said amount, receivables amounting to ₹2.19 crore pertain to more than 3 years. As explained to Audit, the nature of debtors is excess remittance to the pensioner (i.e after death of pensioners due to non-receipt of information by MbPA-PFT regarding the death of the pensioners). Further, there is no accounting policy for bad and doubtful debts adopted by Mumbai Port Authority Pension Fund Trust.

Considering that the chance of recovery of these old outstanding balances appears remote, non-creation of provision for doubtful debt resulted in overstatement of Sundry Debtors and understatement of deficit (Excess of expenditure over income) by ₹2.19 crore.

B) Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Trust through a Management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India,

(a) In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affairs of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust as at 31 March 2023; and

(b) In so far as it relates to Income and Expenditure Account, of the Deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

5/10/23

(Guljari Lal)
Director General of Audit (Shipping),
Mumbai

Place: Mumbai

Date : 5 October 2023

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System:

The Internal Audit of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPA PFT) for the year 2022-23 is completed but is not yet submitted to the Board.

2. Adequacy of Internal Control System.

Internal control system requires strengthening as a review of the bank reconciliation statement indicated that;

a) The Bank Balance (₹86.06 crore) reflected in Schedule-4 was after deducting ₹0.83 lakh in respect of 9 Cheques which were issued since April 2006 and were more than 3 months old as at 31.03.2023. The same have not been cancelled and written back. This has resulted in understatement of cash and bank balance to extent of ₹0.83 lakh

b)The Bank Balance (₹86.06 crore) reflected in Schedule-4 also includes an amount of ₹27.18 lakhs deposited in the Bank since April 2006 but not credited by bank till 31.03.2023. This has led to overstatement of cash and bank balance to the extent of ₹27.18 lakhs.

c) Further, the bank balance reflected in Schedule-4 did not include

(i) ₹52.82 lakhs credited by bank but not accounted by MbPA-PFT

(ii) ₹10.66 lakhs debited by bank but not accounted by MbPA-PFT

3. System of Physical verification of Fixed Assets:

Physical Verification of Fixed Assets is not applicable to MbPA-PFT as MbPA-PFT does not have Fixed Assets.

4. System of Physical verification of Inventory:

Physical Verification of Inventory is not applicable to MbPA-PFT as MbPA-PFT does not have Inventory.

5. Regularity in payment of statutory dues:

Statutory dues of MbPAPFT were paid by Mumbai Port Authority and hence not applicable.

Deputy Director

Place: Mumbai

Date : 5 October 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियाँ

<table>
<tr><th>लेखापरीक्षा अवलोकन</th><th>की गई कार्रवाई की टिप्पणियाँ</th></tr>
<tr><td>ए.) तुलन पत्र</td><td></td></tr>
<tr><td>ए.1 पेंशन निधि लेखा और देयताए -
रु 9354.82 करोड़ (अनुसूची 1)</td><td></td></tr>
<tr><td>ए) न्यास विलेख (14 जनवरी 2004) द्वारा कर्मचारियों तथा भूतपूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयता को पूरा करने के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास बनाया गया. भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि) को पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए निधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है. भा.जी.बी. नि के द्वारा प्रति वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है. जिसके आधार पर मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा भा.जी.बी.नि. के पास राशि निवेश की जाती है.

दि. 31-03-2023 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कुल पेंशन देयता रु. 11410.42 करोड़ (रु. 8805.56 करोड वर्तमान पेंशनरों के लिए तथा रु. 2604.86 करोड भावी पेंशनरों के लिए) भा.जी.बी.नि सूचित की है. इसके प्रति 31 मार्च 2023 को पेंशन निधि में शेष राशि रु 9354.82 करोड थी. बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए निधि शेष में रु. 2055.60 करोड की कमी है.

पेंशन देयता के लिये किये गये कम प्रावधान के परिणाम स्वरूप देयताए (पेंशन निधि खाता) तथा परिसंपत्तिया (वर्तमान परिसंपत्तिया, ऋण तथा अग्रिम "मुंबई पत्तन प्राधिकरण से प्राप्य") रु 2055.60 करोड तक कम बतायी गयी है.

लेखापरीक्षक, वर्ष 2012-2013 से इस कमी की तरफ इंगित कर रहे है.</td><td>लेखापरीक्षण अवलोकन सही है.
लेखों पर टिप्पणियाँ अंतर्गत दिखाई गई रु 9301.85 करोड़ की राशि पेंशन जीवन देनदारियों के लिए किया गया निवेश है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है. लेखों पर टिप्पणियाँ में उल्लिखित शब्द निधि शेष को निवेश शेष के रूप में पढ़ा जा सकता है.

(रु. करोड में)
<table><tr><th>बीमांकिक मूल्यांकन</th><th>निवेश शेष</th><th>कमी</th></tr><tr><td>(ए)</td><td>(बी)</td><td>सी = (ए - बी)</td></tr><tr><td>रु 11410.42</td><td>भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निवेश : रु 9299.32</td><td>रु 2108.57</td></tr><tr><td></td><td>बैंकों के पास जमा : रु 2.53 (सीएलटीडी)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>कुल : रु 9301.85</td><td></td></tr></table>31.03.2023 को निधि शेष ₹ 9354.82 करोड़ है जबकि निवेश शेष ₹ 9301.85 करोड़ है. यह तथ्य है कि 31.03.2023 तक, बीमांकिक मूल्यांकन और पेंशन निधि के निधि शेष में ₹ 2055.60 करोड़ की कमी है. प्रत्येक वर्ष निधि के लिए बीमांकिक मूल्यांकन और मुंबई पत्तन प्राधिकरण के पास उपलब्ध अधिशेष से अशंदान किया जाता है. निधि को बढ़ाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं.

मुंबई पत्तन प्राधिकरण की जमीन मुद्रीकरण के प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है. जमीन के मुद्रीकरण से उत्पन्न राजस्व से पेंशन निधि की कमी को पूरा किया जाएगा. यह आशा की जाती है कि इस अंतर को आगामी कुछ वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा. कुल आरक्षित राशि रु 531.66 करोड़ ध्यान में रखते हुए मुंबई पत्तन प्राधिकरण लाभ हानि खाते को पुरा करने में असमर्थ है और 31-03-2023 के अनुसार प्रोद्भुत दायित्वो के प्रावधान करने में असमर्थ है. मुंबई पत्तन प्राधिकरण मंडल ने बीआर नंबर 32 दिनांक 04.05.2023 द्वारा कमी</td></tr>
</table>

	को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मंडल की प्रतिबद्धता दर्शाते हुए प्रस्ताव पारित किया है. व्यावहारिक निवेश निर्णयों के कारण निवेश में 351.12 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. इसके अलावा निवेश की तुलना में बीमांकिक मूल्यांकन में कमी भी पिछले वर्ष की तुलना में 14.36% कम हो गई है. इस प्रकार अंतर को कम करने का प्राधिकरण का निरंतर प्रयास जारी है. इसके संबंध में, यह भी स्वीकार किया जाता है कि पेंशन का दायित्व आवृत्ति प्रवृत्ति का है और परिकलित बीमांकिक दायित्व भा.जी.बी.नि के द्वारा विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए नही है. इसीलियें किसी भी विशिष्ट वर्ष में प्रावधान नही किया जा सकता है. यह भी आपके विचारार्थ हेतू है कि समझौते मे कोई विशेष सीमा नही है कि कब तक अशंदान को पूरा करने की आवश्यकता है. इस प्रकार, वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान देयता को कम करने तथा हानि/घाटे को अधिक नहीं बताया गया है.पेंशन निधि न्यास के साथ-साथ मुंबई पत्तन प्राधिकरण के खातों की बहियो की टिप्पणियों में फंड की कमी का उचित प्रकटीकरण किया गया है
ए.2 चालू परिसंपत्तियां ऋण और अग्रिम **विविध देनदार (अनुसूची 4)** **निवृत्ति वेतन लाभार्थियों से प्राप्य ः रू.3.75 करोड़**	
उपरोक्त राशि ₹ 3.75 करोड़ 31.03.2023 तक पेंशनभोगियों से प्राप्तियों से संबंधित है. उक्त राशि में से, 2.19 करोड़ की प्राप्य राशि 3 वर्षों से अधिक से संबंधित है. जैसा कि लेखापरीक्षा को बताया गया है, देनदारों की प्रकृति पेंशनभोगी को अतिरिक्त प्रेषण है (अर्थात् पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद, पेंशनभोगियों की मृत्यु के संबंध में एमबीपीए-पीएफटी द्वारा जानकारी प्राप्त न होने के कारण) इसके अलावा, मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई लेखांकन नीति नहीं अपनाई गयी है. यह ध्यान में रखते हुए कि इन पुराने बकाया शेष की वसूली की संभावना बहुत कम प्रतीत होती है, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान न बनाने के परिणामस्वरूप विविध देनदारों की संख्या अधिक बताई गई और घाटे (आय पर व्यय की अधिकता) को ₹ 2.19 करोड़ से कम बताया गया है.	लेखापरीक्षण अवलोकन अनुपालन के लिए नोट किया गया है. (i) लेखापरीक्षा द्वारा दिया गया सुझाव विचाराधीन है और इन आंकड़ों को यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. (ii) जैसा कि सुझाव दिया गया है, खराब और संदिग्ध ऋण के उपचार के लिए नीति अपनाने की जांच की जा रही है. इसके अलावा आईपीए ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत नए सीएफएफआर के गठन का काम सौंपा है. पत्तन इसमें खराब ऋण नीति के प्रावधान और बट्टे खाते में डालने पर मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहा है.

अनुलग्नक

अनुक्र.	लेखापरीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई की टिप्पणियाँ
1.	**आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** वर्ष 2022-23 के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास (एमबीपीए पीएफटी) का आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी हो गयी है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया है.	वर्ष 2022-23 के लिए मुंबई पोर्ट अथॉरिटी पेंशन फंड ट्रस्ट (एमबीपीए पीएफटी) की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 04.08.2023 को पेंशन फंड के न्यासी मंडल को प्रस्तुत की गई थी और इसे 04.08.2023 के टीआर नंबर 04 के माध्यम से अनुमोदित किया गया है.
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ करने की आवश्यकता हैं क्योंकि बैंक समाधान विवरण की समीक्षा से संकेत मिलता हैं कि: (ए) अनुसूची 4 में दर्शाए गए बैंक बैलेंस (₹ 86.06 करोड़) 9 चेकों के संबंध में ₹ 0.83 लाख की कटौती के बाद था,, जो अप्रैल 2006 से जारी किए गए थे और 31.03.2023 को 3 महीने से अधिक पुराने थे. उसे रद्द नहीं किया गया है और न ही वापस लिखा गया है. इसके परिणामस्वरूप नकदी और बैंक शेष को ₹ 0.83 लाख तक कम बताया गया है (बी) अनुसूची- 4 में दर्शाए गए बैंक बैलेंस (₹ 86.06 करोड़) में अप्रैल 2006 से बैंक में जमा की गई ₹ 27.18 लाख की राशि भी शामिल है, जो 31.03.2023 तक बैंक द्वारा जमा नहीं की गई, इसके कारण नकदी और बैंक शेष को ₹ 27.18 लाख से अधिक बताया गया है. (सी) इसके अलावा, निम्नलिखित अनुसूची- 4 में दर्शाये गए बैंक बैलेंस में शामिल नहीं है. (i) ₹ 52.82 लाख बैंक द्वारा जमा किए गए परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा हिसाब में नहीं दिखाया गया. (ii) ₹ 10.66 लाख बैंक द्वारा नामे डाले गयी परंतु मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास द्वारा हिसाब में नही दिखाया गया	बैंक समाधान विवरण में असमाधानित मदो को समाशोधित करने का प्रयास किया जा रहा है.

3.	**अचल परीसंपत्तियाँ के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली**: मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के पास अचल परिसंपत्तियाँ नही है इसलिए अचल परिसंपत्तियाँ का वास्तविक सत्यापन मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास को लागू नही है.	**वास्तविक**
4.	**मालसुची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली**: मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के पास मालसुची नही है इसलिए मालसुची का वास्तविक सत्यापन मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास को लागू नही है.	**वास्तविक**
5.	**सांविधिक देय राशि के भुगतान की नियमितता**: मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के सांविधिक देय राशि का भुगतान मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया है अत: वह मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास को लागू नही है.	**वास्तविक**

ACTION TAKEN NOTES ON SEPARATE AUDIT REPORT OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF MUMBAI PORT AUTHORITY PENSION FUND TRUST FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023.

<table>
<tr><th>Audit Observations</th><th>Action taken notes</th></tr>
<tr><td>A) Balance Sheet</td><td></td></tr>
<tr><td>A.1 Pension Fund Account and Liabilities ₹ 9354.82 crore (Schedule I)</td><td></td></tr>
<tr><td>Mumbai Port Trust Pension Fund Trust was formed vide a Trust Deed (14 January 2004) to meet the pension liability of employees and ex-employees. Life Insurance Corporation (LIC) has been appointed as the Fund Manager to manage the Pension Fund. LIC does the actuarial valuation every year based on which the money is invested by Mumbai Port Trustwith LIC.

The total pension liability as per actuarial valuation as on 31.03.2023 as intimated by LIC was ₹ 11,410.42 crore (₹ 8,805.56 crore towards existing pensioners and ₹ 2,604.86 crore towards future pensioners). The pension fund balance as on 31 March 2023 was ₹ 9,354.82 crore. Considering the Actuarial Valuation Report, there is a shortfall of ₹ 2,055.60 crore in the Fund Balance.

The shortfall has resulted in understatement of liabilities (Pension Fund Account) and Assets (Current Assets, Loans and Advances — "Receivable from Mumbai Port Trust") to the extent of ₹ 2,055.60 crore.</td><td>Audit observation is correct.

There is there is a shortfall of ₹ 2,055.60 crore as per Fund Balance and ₹ 2108.57 crores as per Investment Balance. Same is shown in Notes to Accounts. The word <u>fund balance</u> mentioned in Notes to Accounts may read as <u>Investment balance</u>. Details of the same are in table below.

(₹ in crores)
<table>
<tr><th>Actuarial Valuation</th><th>Investment Balance #</th><th>Shortfall</th></tr>
<tr><td>(A)</td><td>(B)</td><td>C= (A-B)</td></tr>
<tr><td>₹ 11410.42</td><td>Investment with LIC : ₹ 9299.32</td><td>₹ 2108.57</td></tr>
<tr><td></td><td>Investment with Bank (CLTD) : ₹ 2.53</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Total : ₹ 9301.85</td><td></td></tr>
</table>
The fund balance as on 31.03.2023 is ₹ 9354.82 crores whereas Investment Balance is ₹ 9301.85 cores. It is a fact that as on 31.03.2023, there is a shortfall of ₹ 2055.60 crore between Actuarial liability and the Fund balance of Pension Fund. Every year contribution is made to the funds on the basis of actuarial valuation and surplus available with MbPA. Sincere</td></tr>
</table>

Audit has been pointing out the shortfall in provisioning for pension liability since 2012- 2013.	efforts are made to augment the Fund. The proposal of monetization of Land of MbPT is being pursued and the revenue generated from leasing of Land will be utilized to bridge the short funding in Pension Fund. It is expected to meet the gap in coming few years. Considering the total Reserves of ₹ 531.66 crore, only. MbPA is not in position to charge the shortfall to Profit and Loss account and to provide the accrued liability as on 31.03.2023. Board by BR No. 32 dated 04.05.2023 has passed resolution showing the commitment of the Board to fill the shortfall at the earliest. Due to pragmatic investment decisions there has been increase in the investment to the tune of ₹ 351.12 crore. Further the shortfall in Actuarial Valuation vis-à-vis investment has also reduced by 14.36% as compared to previous year. Thus it is a constant endeavor of the port to reduce the gap. It is also pertinent to point out that Pension liability is of recurring nature and the actuarial liability worked out by LIC is not for a particular financial year hence cannot be provided for in any particular year. It is also for your consideration that there is no specific deadline in the agreement within which the contribution needs to be complete.

	As such, there is no understatement of current Liability and Assets for the year 2022-23. Due disclosure has been made in the Notes regarding the short funding in the books of the accounts of Pension Fund Trust as well as Mumbai Port Authority.
A.2 Current Assets, Loans and Advances **Sundry Debtors (Schedule 4)** **Receivables from Pensioners: ₹ 3.75 crore**	
The above amount of ₹ 3.75 Crore related to receivables from pensioners as on 31.03.2023. Out of the said amount, receivables amounting to ₹ 2.19 crore pertain to more than 3 years. As explained to Audit, the nature of debtors is excess remittance to the pensioner (i.e after death of pensioners due to non-receipt of information by MbPA-PFT regarding the death of the pensioners). Further, there is no accounting policy for bad and doubtful debts adopted by Mumbai Port Authority Pension Fund Trust Considering that the chance of recovery of these old outstanding balances appears remote, non-creation of provision for doubtful debt resulted in overstatement of Sundry Debtors and understatement of deficit (Excess of expenditure over income) by ₹ 2.19 crore.	The Audit observation is noted for compliance. (i) The suggestion given by Audit is under consideration and necessary action will be taken to clear these figures as early as possible. (ii) As suggested, adoption of policy for treatment of bad and doubtful debt is being examined. Further IPA has entrusted task of formation of New CFFR under the Major Port Authority's Act, 2021. Port is expecting guidance on provisioning and writing-off of Bad debt policy in the same.

Annexure to Audit Report

Sr. No.	Audit Observations	Comments
1.	**Adequacy of Internal Audit System** The Internal Audit of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPA PFT) for the year 2022-23 is completed but is not yet submitted to the Board.	The Internal Audit Report of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPA PFT) for the year 2022-23 was submitted to Board of Trustees of Pension Fund on 04.08.2023 and same was approved vide TR No. 04 dated 04.08.2023
2.	**Adequacy of Internal Control System** Internal control system requires strengthening as a review of the Bank Reconciliation statement indicated that: a) The Bank Balance (₹ 86.06 crore) reflected in Schedule-4 was after deducting ₹ 0.83 lakh in respect of 9 Cheques which were issued since April 2006 and were more than 3 months old as at 31.03.2023. The same have not been cancelled and written back. This has resulted in understatement of cash and bank balance to extent off ₹ 0.83 lakh b) The Bank Balance reflected in Schedule-4 also includes an amount of ₹ 27.18 lakhs deposited in the Bank since April 2006 but not credited by bank till 31.03.2023. This has led to	The efforts are being taken to clear the un-reconciled items in the Bank reconciliation statement.

	overstatement of cash and bank balance to the extent off ₹ 27.18 lakhs. c) Further, the bank balance reflected in Schedule-4 did not include (i) ₹ 52.82 lakhs credited by bank but not accounted by MbPA-PFT. (ii) ₹ 10.66 lakhs debited by bank but not accounted by MbPA-PFT.	
3.	**System of Physical verification of Fixed Assets** Physical Verification of Fixed Assets is not applicable to MbPA PFT as MbPA PFT does not have Fixed Assets.	**Factual**
4.	**System of Physical verification of inventory** Physical Verification of Inventory is not applicable to MbPA PFT as MbPA PFT does not have Inventory.	**Factual**
5.	**Regularity in payment of statutory dues** Statutory dues of MbPA PFT were paid by Mumbai Port Authority and hence not applicable.	**Factual**

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास

परित्याग

वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के वार्षिक लेखों उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विहित लेखापरीक्षा आपत्तियों / अवलोकनों पर की गयी कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ केवल जानकारी के लिए अंग्रेजी मूल का अनुवाद है. किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी मूल प्रभावी होगा.

MUMBAI PORT AUTHORITY PENSION FUND TRUST

DISCLAIMER

The Hindi version of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust Annual Accounts for Financial Year 2022-23, Audit report thereon together with Action Taken Notes on Audit Objections/ Observation contained in Audit Report Financial Year 2022-23 is a translation of the original in English for information purpose only. In case of the discrepancy, the English original will prevail.